

ISSN 0976-528X

सामाजिक एवं मानविकी विषय के अन्तर्गत प्रकाशित

त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध जर्नल

मार्च 2012

महामहिम (कुलाधिपति) राज्यपाल श्री वी. एल. जोशी जी द्वारा विमोचित

# सिद्धांत DOCTRINE

संपादक

डॉ. विनोद मोहन मिश्रा  
डॉ. राम तिवारी

Published by :

Academic Research Society (U.P.)  
एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी (उ० प्र०)

एकेडेमिक रिसर्च सोसाइटी परिवार  
की ओर से

प्रिय सुधीजन पाठकों  
को होली पर्व

एवं

भारतीय नववर्ष की  
हार्दिक शुभकामनाएँ

राष्ट्रीय शोध जर्नल 'सिद्धांत' (DOCTRINE) का विमोचन करते हुए  
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (कुलाधिपति)  
महामहिम श्री वी० एल० जोशी जी

स्थान :  
तुलसी उपवन (मोतीझील),  
कानपुर

दिनांक : 10.08.2010  
दिन : सोमवार

समय :  
प्रातः 8.50 बजे



चित्र में बायें से कानपुर नगर के महापौर (मेयर) श्री रवीन्द्र पाटनी जी,  
पद्मश्री गिरिराज किशोर जी (प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यकार),  
महामहिम राज्यपाल (कुलाधिपति) श्री वी० एल० जोशी जी,  
डॉ० राम तिवारी, (संपादक 'सिद्धांत'), डॉ० बट्टी नारायण तिवारी जी,  
(अध्यक्ष/संयोजक 'मानस संगम'), डॉ० विनोद मोहन मिश्रा, (संपादक  
'सिद्धांत'), श्री अभिनव तिवारी, (एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी, उ० प्र०)

## संपादकीय .....



होली प्रकृति का वह समय माना जाता है जब प्रकृति परिवर्तन की ओर अग्रसर होती है। मौसम सर्दी की ओर से गर्मी की ओर धीरे-धीरे चलता है। वनस्पतियाँ अपने शरीर को नये पत्तों से ढकने को और पुराने पत्तों को अपने शरीर से अलग करने को आतुर होती हैं। ऐसा लगता है कि मानो यह प्रकृति प्रतिवर्ष इस मौसम में हिन्दी नये वर्ष के आगमन पर मनुष्य को यह सीख देती है कि कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। सभी समय के साथ चलायमान है, जो समाज के हित में है उसे धारण करो, जो उपयोगी नहीं रहा है उसे यथोचित सम्मान के साथ विदा करो; क्योंकि समाज के हित की तुलना में व्यक्तिगत स्नेह मात्र आत्महत्या के सदृश माना जाता है। परिवर्तन के इस काल में भारत के प्रमुख राज्यों में हुए चुनावों ने सत्ता की नयी साख को जन्म दिया है। इस बार के हुए चुनावों में प्रमुख बात यह है कि जनता ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। जनतन्त्र ने नये गणतन्त्र को पुनःस्थापित किया। नयी अपेक्षाओं ने पुरानी मांगों को नये ढाँचे में बदलकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन अपेक्षाओं का सही होना या न होना इस बात पर निर्भर होगा कि बुद्धिजीवी वर्ग निरन्तर जागरूक रहकर सत्ता को सचेत करता रहे; क्योंकि महान् ग्रन्थ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने जो चिन्तन किया है कि “प्रभुता पाहि काहे मद नाही” पूर्णतः यथार्थ की कसौटी पर हर युग का खरा सिद्धान्त है। इसी क्रम में जिन प्रमुख प्रान्तों में चुनाव हुए हैं वह सभी आर्थिक, सामाजिक रूप से संघर्षों में जी रहे हैं तथा इन प्रान्तों की सबसे प्रमुख समस्या सुरक्षा की भी है। अतः यह सभी प्रान्त सुरक्षा एवं संरक्षा का वातावरण प्रमुख रूप से स्थापित करें, तभी विकास की कल्पना की जा सकेगी।

होली एवं भारतीय नववर्ष की शुभकामना के साथ सभी सदस्यों को निरन्तर सहयोग एवं आशीर्वाद देने के लिए सादर नमन।

प्रस्तुत अंक में विचार/शोधपूर्ण लेख लेखकों के स्वयं के हैं, उसके सम्बन्ध में जर्नल का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। इस अंक के प्रति विचार एवं सुझाव हमें अवश्य भेजें, उन्हें अगले अंक में “अभिमत” कालम में प्रकाशित किया जायेगा।

-डॉ० विनोद मोहन मिश्रा  
डॉ० राम तिवारी

## संपादक - मण्डल

- डॉ० (मेजर) संतोष कुमार सिंह सेंगर**  
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष  
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग  
वी०एस०एस०डी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० गोविन्द सिंह**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग  
वी०एस०एस०डी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० (मेजर) इन्द्रजीत सिंह**  
रीडर एवं अध्यक्ष  
सैन्य अध्ययन विभाग  
पी०पी०एन० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० अशोक कुमार तिवारी**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग  
वी०एस०एस०डी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० ममता दीक्षित**  
असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर ग्रेड)  
शिक्षाशास्त्र विभाग  
महिला महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० देवेश चन्द्र कटियार**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
सैन्य अध्ययन विभाग  
पी०पी०एन० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० अजय कुमार सिंह**  
वरिष्ठ प्रवक्ता  
सैन्य अध्ययन विभाग  
पी०पी०एन० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० जय शंकर पाण्डेय**  
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष  
समाजशास्त्र विभाग  
डी०ए-वी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० अनूप सिंह**  
असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर ग्रेड)  
समाजशास्त्र विभाग  
डी०ए-वी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० मनोज अवस्थी**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
वाणिज्य विभाग  
वी०एस०एस०डी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० नीलम त्रिवेदी**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
डी०जी० महाविद्यालय, कानपुर
- डॉ० पुष्पा वर्मा**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
डी०सी०लॉ० महाविद्यालय, कानपुर

## संपादकीय परामर्शदाता मण्डल

- प्रोफेसर (डॉ०) राजकुमार उपाध्याय**  
विभागाध्यक्ष  
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
- डॉ० सुरेन्द्र कुमार मिश्रा**  
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष  
सैन्य अध्ययन विभाग  
गर्वनमेण्ट पी०जी० कालेज, हिसार (हरियाणा)
- डॉ० रामसूरत पाण्डेय**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
रक्षा अध्ययन विभाग  
लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा
- डॉ० विजेन्द्र सिंह**  
विभागाध्यक्ष  
सैन्य अध्ययन विभाग  
सकलडीहा पी०जी० कालेज सकलडीहा, चंदौली  
वाराणसी
- डॉ० अरविन्द कुमार चतुर्वेदी**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
सैन्य अध्ययन विभाग  
गनपत सहाय पी०जी० कालेज, सुल्तानपुर
- डॉ० संजय कुमार**  
वरिष्ठ प्रवक्ता  
सैन्य अध्ययन विभाग  
मेरठ कालेज, मेरठ
- डॉ० नर्वदेश्वर शुक्ला**  
विभागाध्यक्ष  
सैन्य विज्ञान विभाग  
एल०एस०एम० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
पिथौरागढ़ (उ० प्र०)
- डॉ० एस० एन० राय**  
विभागाध्यक्ष  
सैन्य अध्ययन विभाग  
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- डॉ० धीरेन्द्र द्विवेदी**  
असिस्टेंट प्रोफेसर  
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग  
ईश्वर शरण डिग्री कालेज,  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
- डॉ० गिरीश कांत पाण्डेय**  
विभागाध्यक्ष,  
रक्षा अध्ययन विभाग  
शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान  
महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
- डॉ० देवदत्त शर्मा**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
विधि विभाग  
डी०ए-वी० कालेज, लखनऊ
- डॉ० अमित सिंह**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
विधि विभाग  
महात्मा ज्योतिबा फूले  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
- डॉ० दीर्घपाल सिंह भंडारी**  
विभागाध्यक्ष  
सैन्य विज्ञान विभाग  
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
नई टिहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
- डॉ० संजय राय**  
एसोसिएट प्रोफेसर  
समाज कार्य विभाग  
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)  
नई दिल्ली

## संरक्षक - मण्डल

- ❖ **डॉ० बन्नी नारायण तिवारी**  
अध्यक्ष,  
मानस संगम
- ❖ **डॉ० जे० एन० गुप्ता**  
CEO दैनिक जागरण एजुकेशन  
फाउन्डेशन एवं पूर्व चेयरमैन स्टाक  
एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश
- ❖ **डॉ० आर. के. त्रिवेदी**  
निदेशक  
एच० बी० टी० आई० (स्टेप)  
नवाबगंज, कानपुर
- ❖ **डॉ० रमेशचन्द्र शर्मा**  
पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर  
हिन्दी विभाग  
बी० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर
- ❖ **श्रीमती किरन मिश्रा**  
उप-महाप्रबन्धक  
ब्रह्मवर्त कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक  
लिमिटेड, कानपुर
- ❖ **श्रीमती पुष्पलता सिंह**  
प्रधानाचार्या  
डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक  
स्कूल, कानपुर
- ❖ **ई० आर० डी० पाण्डेय**  
विशेष कार्याधिकारी  
केस्को, कानपुर
- ❖ **डॉ० नंदिनी रस्तोगी**  
प्रख्यात चिकित्सक  
कानपुर नगर
- ❖ **प्रो० (डॉ०) आर० सी० गुप्ता**  
अध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग  
कानपुर मेडिकल कालेज  
कानपुर
- ❖ **प्रो० सर्वज्ञ सिंह कटियार**  
पद्मश्री एवं पद्म विभूषण  
पूर्व कुलपति  
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय  
कानपुर
- ❖ **श्री के० के० यादव (आई० पी० एस०)**  
निदेशक, डाक सेवा  
अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर
- ❖ **डॉ० विवेक द्विवेदी**  
प्राचार्य  
बी० एन० डी० महाविद्यालय, कानपुर
- ❖ **श्री अंकुश शुक्ला**  
भाई साहब (दैनिक जागरण)  
प्रख्यात व्यंग्य कार्टूनिस्ट, कानपुर
- ❖ **डॉ० अरविन्द अरोड़ा**  
प्रख्यात लेखक एवं  
पूर्व चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक)  
कानपुर
- ❖ **श्री प्रकाश नारायण बाजपेई**  
प्रधानाचार्य  
पं० दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कालेज  
कानपुर
- ❖ **डॉ० डी० के० सिन्हा**  
प्रख्यात चिकित्सक  
संस्थापक, कानपुर किडनी फाउन्डेशन  
कानपुर
- ❖ **प्रो० (डॉ०) एस० के० अरोड़ा**  
त्वचा रोग विशेषज्ञ  
कानपुर मेडिकल कालेज, कानपुर
- ❖ **डॉ० एस० पी० तिवारी**  
पूर्व प्रधानाचार्य  
आर० एस० जी० यू० डिग्री कालेज  
पुरखरायों
- ❖ **श्री साहब लाल मौर्या**  
रजिस्टार  
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ  
विश्वविद्यालय, वाराणसी
- ❖ **श्री योगेन्द्र स्वरूप (एड०)**  
सचिव, पी० पी० एन० मेमोरियल सोसाइटी,  
कानपुर, वर्तमान सदस्य एवं पूर्व  
अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल
- ❖ **डॉ० रेनू निगम**  
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष  
संगीत विभाग,  
ए० एन० डी० कालेज, कानपुर
- ❖ **डॉ० अरुण कुमार दीक्षित**  
प्राचार्य  
श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज,  
अलीगढ़
- ❖ **श्री राम मिलन सिंह**  
प्रधानाचार्य  
ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन  
इण्टर कालेज, कानपुर
- ❖ **श्री रमेश कुमार पाण्डेय**  
चेयरमैन  
विजन ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड  
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश
- ❖ **डॉ० एम० के० खरे**  
पूर्व चिकित्सा अधिकारी  
एवं प्रबन्धक सीता पैथोलॉजी,  
स्वरूप नगर, कानपुर
- ❖ **प्रो० (डॉ०) संजय रस्तोगी**  
वरिष्ठ चिकित्सक  
सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, कानपुर
- ❖ **श्री राजू सेठ**  
प्रख्यात छायाकार एवं प्रबन्धक  
वाहु कलर लैब सोमदत्त प्लाजा,  
कानपुर

लेख	पृष्ठ सं०
1. <b>HUMAN RIGHT IN GLOBALIZED WORLD</b> Dr. S.K. Mishra	1
2. <b>PROBLEM OF PROSTITUTION IN INDIA : TOWARDS LEGALIZATION</b> Dr. Sanjay Roy	5
3. <b>TERRORISM AND COUNTER - TERRORISM IN SOUTH ASIA REGION</b> Dr. (Major) Indrajeet Singh Dr. Pradeep Kumar Singh	19
4. बुन्देलखण्ड में दुर्ग निर्माण की प्राचीन परम्परा डॉ० पुरुषोत्तम सिंह	25
5. महात्मा गांधी की दृष्टि में शिक्षक डॉ० राजेन्द्र बहादुर सिंह	38
6. महिला सशक्तिकरण के आधार तत्व—स्वास्थ्य एवं पोषण श्रीमती मंजू भारती	45
7. साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में गणेश शंकर विद्यार्थी का योगदान करुण कुमार (शोधार्थी)	51
8. स्मृतियों नारी की स्थिति (मनुस्मृति के सन्दर्भ में) ब्रिजेन्द्र कुमार सिंह	55
9. <b>WRITE TO INFORMATION - THE HISTORICAL PERSPECTIVE</b> Pawan Kumar Tiwari	60



# HUMAN RIGHT IN GLOBALIZED WORLD

**-Dr. S. K. Mishra**

Associate Professor  
Department of Defence Studies  
Government College,  
Hissar, Haryana

We are living in an era of dramatic change and transition, in a world that is being transformed by complex financial systems and revolutionary information technologies into a vast global marketplace. Globalization is creating new patterns of interaction among people and States, promising unprecedented opportunities for material progress in larger freedom, but also threatening to compound many existing challenges before the international community while deepening the economic marginalization of those most vulnerable. In this complex scenario, human rights, which were embedded formally at the United Nations as a great international priority 62 years ago - through the December 1948 Universal Declaration of Human Rights - have gained prominence as a universally recognized set of norms and standards that increasingly inform all aspects of our relations as individuals and as collective members of groups, within communities and among nations. There is now near-universal recognition that respect for human rights- the rights of political choice and association, of opinion and expression, and of culture; the freedom from fear and from all forms of discrimination and prejudice; freedom from want and the right to employment and well-being and, collectively, to development - is essential to the sustainable achievement of the three agreed global priorities of peace, development and democracy.

Human rights are generally defined as the rights which every human being is entitled to enjoy and to have protected. All societies and cultures have in the past developed some conception of rights and principles that should be respected and some of these rights and principles have been considered universal in nature. The struggle for the recognition of human rights and struggle against political, social, economic and cultural oppression, against injustice and inequalities, have been and integral part of the history of all human societies. The conception of right which every human being is entitled to enjoy by virtue of being a member of the human species have evolved through history in the course of these struggles. Human rights are inherent and integral to every human beings, basic for human life and its development, and incorporated in the constitutions of every state.

The great gift of classical and contemporary human thought to culture and civilisation is the notion of human rights. Human rights are those fundamental rights, which every individual inhabiting any part of the world should be entitled to merely by virtue of having been born a human being. These are the basic rights or natural rights, which are unalienable and essential for the adequate development of the human personality and for the

happiness and progress of the human society. These are based on mankind's increasing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive respect and protection. Human rights sometimes called fundamental rights or basic rights or natural rights; as these rights cannot be taken away by any legislature or any act of government. As natural rights they are seen as belonging to men and women by their very nature. Human rights are not created by any legislation, they assume the position of natural rights. The concept of human rights, imposing a responsibility on the state to respect and protect these rights, is largely a post-1945 phenomenon.

Simply speaking Human Rights are the rights, which any human being on this earth must enjoy because he is a human being. The most important human right to my mind, which would truly imbibe and nature the culture of human rights civilization in the world is right to be human. The starting point of the problems of the Human Rights order is with the human being himself, be it slavery, bounded labour, women subordination, child abuse, custodial death and all other social evils the list is almost endless. The problem of Human Right violation surface because we live in an exploitative society where a person because of his position, power, rank, wealth or any other like factor: has a tendency to exploit the other human being. The problem of Human Right is essentially the problem of two classes of people, the one dominating and the other dominated, the one exploiting and the other being exploited.

Human rights are foreign to no culture and native to all nations; they are universal. One cannot pick and choose among human rights; whether civil, cultural, economic, political or social, human rights are indivisible and interdependent. And as last century's bloody history has taught us, the absence of human dignity; it is also at the root of the poverty and political violence that plague our world. Genocide has been committed twice in this decade alone. People around the world continue to be subjected to discrimination because of race, religion, gender or political belief. Million of men, women and children lack of food, shelter, access to medical care, education and work. Too many governments have yet to ratify or even sign to many of the major human rights conventions.

This research article attempts to provide an account of the process of universalization of human rights in a globalized world. The focus is on- how human rights become more or less secure as a result of globalization. Building a world of respect for human dignity and social justice is a job- a responsibility- for every one. A culture of human rights can be develop. But words will not suffice; we need deeds that will bring to life for every individual in every community the aspirations articulated by the universal declaration of Human Rights. This challenge requires a sustained individual and collective effort in short, a global partnership for human rights. Building a world of respect for human dignity and social justice is a job - a responsibility for everyone.

The recognition of human rights and the weaving of a web of globalisation are probably the most important political developments of our time. For the past two decades,

globalisation and human rights have been marching forward together, haltingly, not always and everywhere in step, but in a way that unmistakably shows they are interconnected. As globalisation has accelerated since the late 1980s, so too has the global trend toward democracy and universalisation of human rights. The situation of human rights has improved in general in the modern world compared to previous centuries. Slavery has been abolished. Democratic forms of government are in place in most countries of the world.

Globalisation enhances human rights directly by expanding the freedom of people to exercise greater control over their daily lives. The human contacts, rising incomes, and diffusion of power that come with globalisation have created a more hospitable climate for civil and political freedoms around the world. The economic openness of globalisation allows citizens greater access to technology and ideas through fax machines, satellite dishes, mobile telephones, internet access, and face-to-face meetings with people from other countries. Rising incomes and economic freedom help to nurture a more educated and politically aware middle class. People who are economically free over time want and expect to exercise their political and civil rights as well. In contrast, a government that can seal its citizens off from the rest of the world can more easily control them and deprive them of the resources and information they could use to challenge the authorities. By creating a more vibrant civil society and economy, globalisation nurtures new leaders who can challenge a country's entrenched authority structure. By encouraging globalisation, not only we can help to raise growth rates and incomes, promote higher standards, and feed, clothe and house the poor; but also to spread political and civil freedoms.

Human rights violations are frequently the root causes of conflict and humanitarian crises. Here one is reminded of Mahatma Gandhi's Seven Social Sins.

- Politics without principle
- Commerce without morality
- Wealth without work
- Education without character
- Science without humanity
- Pleasure without conscience
- Worship without sacrifice

It is time that we focus on human security more than human rights in all its dimensions and manifestations for all people of world.

But, the problems of human rights in India due to their peculiarities pose formidable challenge to its protectors and enforcers. India is a society whereas basic wants of the majority are not fulfilled and hence liberty is freely bartered for fulfilment of needs. Without 'bread', the concepts of life and liberty, freedom of speech and assembly, of association, of conscience and religion, of political participation even though symbolic adult suffrage may be existentially meaningless. The problem of human rights, in situations of mass poverty, is thus one of redistribution, access and needs. In other words, it is a problem of 'development',

a process of planned social change. Whatever it may be made to mean, 'development' must at least mean this: people will be given right to be and remain human. Because the expression 'human rights' presupposes a level at which biological entities are bestowed with the dignity of being called human. The bearers of human rights must have an implicit right to be and remain human. For the protection of human rights, these facts must be taken into account. As the struggle to preserve, protect and promote basic human rights continues in every generation in each society, they will always remain a beckoning goal.

Throughout the world this must be the standard, that one who disturbs peace, he is not entitled to claim rights for himself because to have rights whether it is human rights, fundamental rights, civil rights, statutory rights, wherever you claim your rights you must be able to show that well, I have duties and I have done my duties. If you are not prepared to maintain your duties, the concept of duties at the highest level, then how do you think that you are entitled to claim rights? One can not have all the rights and no duties. Then there will be no human society, global or smaller, you must be prepared to say that I am prepared to perform my duties and so I must be allowed to enjoy my rights.

A culture of human rights can be ours. But words will not suffice; we need deeds that will bring to life for every individual in every community the aspirations articulated by the universal declaration of Human Rights. This challenge requires a sustained individual and collective effort in brief, a global partnership of human rights. If we want to act on the improvement of human rights, we must first own our human duties and obligations; the duty to keep the peace at home and to work for compromise between the various groups in society; the duty to balance out the economic interests and remove the staggering discrepancies in incomes and standards of living; the duty, also, to remove unfair barriers to international trade so that all nations have a chance to compete on equal terms. It is no use clamouring for human rights if we are not prepared to accept our human duties. The demands of a civilized society are deeply imbedded in the famous dictums- 'Live and let live' or 'co-existence' or 'no existence'.

It is we who have to make the final choice.

### References

1. Arjun Dev and Gupta Das: Human Rights- A source book (NCERT), New Delhi.
2. Indian Institute of Human Rights: Introduction to Human Rights, New Delhi.
3. Indian Institute of Mass Communication: Human Rights- Whose Concern?
4. Rahul Rai: Globalisation and Human Right, New Delhi.
5. Rang Nath Mishra: Human Right vs. Terrorism (Conference).
6. Rahul Rai, Globalisation of Human Rights, New Delhi.
7. Human Rights Today, UN Publications, New York.

# PROBLEM OF PROSTITUTION IN INDIA : TOWARDS LEGALIZATION

**Dr. Sanjay Roy**

Associate Professor  
Department of Social Work  
IGNOU  
New Delhi

## Introduction

'Prostitution' is the act or practice of providing sexual services to another person in return for payment. People who execute such activities are called 'prostitutes'. Prostitution is one of the branches of the sex industry all over the world including India. To prostitute" is derived from a composition of two Latin words: (preposition) pro and (verb) statuere. A literal translation therefore would be: "to expose", "to place up front".

In India, prostitution has been prevailing since ancient time. Though in ancient time, prostitutes have been referred as to devdasis (Originally, devadasi were celibate dancing girls used in temple ceremonies and they entertained members of the ruling class. But sometime around the 6th Century, the practice of "dedicating" girls to Hindu gods became prevalent in a practice that developed into ritualized prostitution. Devadasi literally means God's (Dev) female servant (Dasi), where according to the ancient Indian practice, young pre-pubertal girls are 'married off', 'given away' in matrimony to God or Local religious deity of the temple. The marriage usually occurs before the girl reaches puberty and requires the girl to become a prostitute for upper-caste community members. Such girls are known as jogini. They are forbidden to enter into a real marriage). The system of devadasi started only after the fall of Buddhism and records about them start appearing around 1000 A.D. According to the 1934 Devadasi Security Act, this practice is banned in India. This ban was reinforced again in 1980s but the law is broken every day. Poverty and 'Untouchability' contribute to the persistence of this terrible practice. The prostitution continued from ancient and medieval India and has taken a more gigantic outlook in contemporary India, the devdasi system still continues ,according to a report of National Human Rights Commission of the Government of India," after initiation as devadasis, women migrate either to nearby towns or other far-off cities to practice prostitution".

A prostitute is a person, "who allows her body to be used for lewd purposes in return for payment". Prostitution is the sale of sexual services, such as oral sex or sexual intercourse, for money. According to Human Rights Watch, there are approximately 15 million prostitutes in India. There are more than 100,000 women in prostitution in Bombay, Asia's largest sex industry center. Most of the girls are brought from Nepal and Bangladesh. Young girls are trafficked from Nepal to brothels in Mumbai and Kolkata at an average age of

twelve. They are trapped into the vicious cycle of prostitution, debt and slavery. Notorious red light districts of India include GB Road in Delhi, Sonagachi in Kolkata, Kamathipura in Mumbai, Budhwar Peth in Pune and Reshampura in Gwalior. Prostitution has always been a major issue in India. But it is not a problem which exists only in India but it exists throughout the world. Women and girls, worldwide, are lured to foreign nations with promises of jobs. Then, they are forced into prostitution. "With globalization and cheap transportation, you can move people easier and quicker than guns or drugs. And you can use them over and over and over again. You don't just sell them once and call it a day. It's very, very profitable."

Prostitution is the exchange of sexual services for reimbursement or material gain. Over the last three to four decades, sex work has undergone dramatic changes in many countries of the world especially in some South Asian countries. According to Lim (1998), the scale of sex work has grown to such an extent that it can even be called "commercial sex sector."

According to the ILO (1998), the economic foundations of sex work are important because it is not just the individual sex worker and their families who rely on the earnings from sex work but also numerous commercial businesses that are directly or indirectly involved with the sex industry. Activities related to the sex industry such as licenses issued to entertainment establishments, restaurants, bars, assessments levied on brothels, apartments and buildings, liquor and cigarette taxes and the earnings of all those involved in this multi-tiered business are significant economic activities. Studies done in South Asian countries on the nature of sex work indicate that the sex industry flourishes because it is protected and supported by corrupt politicians, police, armed forces and the civil servants, who receive bribes, demand sexual favors and are themselves customers of the sex establishments (Asia Watch and Women's Right Project, 1993). Policy makers of many countries discount these economic deliberations on sex work. Sex work gets categorized as a moral and social evil as opposed to being an economic activity. The ban and abolition of sex work disproportionately targets individual sex workers. The other stakeholders funding the business are rarely talked about (Fredrick, 2000, Lim, 1998).

According to Human Rights Watch, there are approximately 15 million prostitutes in India. There are more than 100,000 women in prostitution in Bombay, Asia's largest sex industry center. Girls in prostitution are tortured, held in virtual imprisonment, sexually abused, and raped. Girl prostitutes are primarily located in low-middle income areas and business districts and are known by officials. Brothel keepers regularly recruit young girls. Girl prostitutes are grouped as common prostitutes, singers and dancers, call girls, religious prostitutes or devdasi, and caged brothel prostitutes. Districts bordering Maharashtra and Karnataka, known as the "devadasi belt," have trafficking structures operating at various levels. Human Trafficking has become the main cause of prostitution in India. Globalization,

professionalization of trafficking syndicates, feminization of poverty and rise in sex tourism - all have contributed to an increase in trafficking. This problem is further compounded because of two factors:

1. linkages of trafficking with the spread of HIV/AIDS and
2. the clandestine nature of the activity.

Studies now show that while women of all ages are more vulnerable to the infection than men, young girls are even more at risk because their genital tracts are immature. In addition, they have absolutely no control over sexual relations and sexual health. So a physical vulnerability is compounded by gender vulnerability. The police, whose main function is to protect and serve, turn out to be robbers stealing the little money that these workers "earn." Interventions are increasingly based on issues like combating stigma related to HIV/AIDS, developing empowering strategies for victims and involving communities in the rehabilitation of rescued women and girls. But there is a lot that still needs to be done.

### Other Causes of Prostitution

- 1) Forced by Relatives/ Ill treatment by parents
- 2) Sexual Slavery
- 3) Prior Incest or Rape
- 4) Blackmailing
- 5) Inability to Get Married
- 6) Widowed at Young Age
- 7) Early marriage and then Desertion
- 8) Lack of Recreational Facilities, Ignorance, and Acceptance of Prostitution
- 9) Economic Causes Include Poverty, Economic Distress and Unemployment
- 10) Psychological Causes Include Desire for Physical Pleasure, Greed, and Dejection
- 11) Bad company
- 12) Family prostitutes
- 13) Social customs
- 14) Lack of sex education, media

### Types of Prostitutions in India

In India there are some districts in states like GB Road in Delhi, Sonagachi in Kolkata, Kamathipura in Mumbai, Budhwar Peth in Pune and Reshampura in Gwalior where prostitution are rampant. There are around 2.8 million prostitutes in the country and their number is increasing, as informed by Lok Sabha of India. Most of the girls are brought from Nepal and Bangladesh. "Young girls are trafficked from Nepal to brothels in Mumbai and Kolkata at an average age of twelve. They are trapped into the vicious cycle of prostitution, debt and slavery. In temporary India different kinds of prostitution is prevailing apart from prostitutes in brothel there are:

- 1) Street prostitutes
- 2) Bar dancers
- 3) Call Girl
- 4) Religious Prostitutes
- 5) Escort Girls
- 6) Road side Brothel
- 7) Child Prostitutes
- 8) Frivole Prostitutes
- 9) Gimmick Prostitutes

- 10) Beat Prostitutes
- 11) These are some alarming facts about the rising human trafficking and prostitution in India
- 12) A report by the United Nations Centre for Development and Population Activities indicates that approximately 200 girls and women in India enter sex work every day. More than 160 are coerced into it.
- 13) For ages, the commercial sex trade has been the chief destination for trafficked girls. According to a report by the Ministry for Women and Child Development, India has nearly 2.5 million prostitutes in nearly 300,000 brothels in 1,100 red-light areas across the country.

### **The Prostitution Leads Health Problems for the Prostitutes Like:**

- 1) HIV/AIDS
- 2) STD
- 3) Cervical Cancer
- 4) Traumatic Brain Injury
- 5) Psychological Disorders

In a country like India where most of the people indulge themselves in unprotected sex with prostitutes, so it becomes very difficult to eradicate the problem like HIV/AIDS. Historically, the AIDS epidemic in India was first identified amongst sex workers only and their clients, before other sections of society became affected. The sex workers are themselves taking steps to combat with AIDS in some brothels in India for example 'Sonagachi' a brothel in Kolkata; where the sex workers are insisting their clients for use of condoms in order to avoid aids. But in all the other brothels in India social workers and NGO'S are trying to acquaint the sex workers about the ill effects of AIDS and are insisting them for using condoms.

### **Need a sound Prostitution Policy influencing from other Countries**

First and foremost there should be different measures and policies for child prostitution and adult prostitution. Although both are a part of commercial sex industry, child prostitution is unacceptable and exploitative and is a form of forced labor. Child prostitution should be regarded as a severe offence. Children are clearly more vulnerable and helpless due to age and immaturity (not just physiological but also social, psychological and cognitive). Commercial sexual exploitation of children has serious lifelong and life-threatening consequences. Terms such as abolition, criminalization and intolerance are operative in the context of child prostitution and not in the context of adult prostitution. A policy statement on prostitution should make a clear distinction between the two (Fredrick, 2000; Lim, 1998).

For adults, who freely choose prostitution, the policy concerns should focus on improving working conditions and social protection, and on ensuring that sex workers are

entitled to same labor rights and benefits as workers from other professions. Terms such as acknowledgement, acceptance, self-determination, legalization and decriminalization are operative in the context of adult prostitution. For adults who are forced into the profession the priority should be to rehabilitate and reintegrate them into the society. Those who wish to continue working as sex workers should have access to basic healthcare, safety and protection and those wanting to leave the profession should have access to social supports and rehabilitation facilities and also skills and means to take up alternative employment opportunities (Fredrick, 2000; Lim, 1998).

We can incorporate from the above recommendations that prostitution needs to be examined from a non-moralistic viewpoint. The individual sex worker should not be treated as a criminal, nor punished for making a living out of soliciting sex. However, criminal elements within prostitution such as trafficking of women into sex work, exploitation and abuse of individual sex workers should be addressed and should be made punishable under the law.

We know that there is a lot of stigma attached to prostitution and many sex workers face regular discrimination in hospitals, police stations, schools and courts. Discrimination affects access to sexual health services, increases risks for HIV infection and prevents sex workers from seeking justice. Illegal status of sex workers has direct influence on the extent to which they suffer from stigma and discrimination. Sex workers rights movement activists recommend legalization and/or decriminalization of prostitution as a measure to prevent stigma and discrimination (Kinnell, 2002). A policy that provides legal and occupational rights to sex workers needs to be instituted. Guidelines to prevent discrimination in public and private organizations and service providing agencies can also be incorporated in the policy statement.

When we consider the systems theory, the individual sex worker is at the center of the concentric circles and is surrounded by various systems, which influence and impact her life. The prostitution policy should recognize the micro, meso and macro systems, which surround the individual sex worker and look at sex work with a holistic perspective. The micro systems such as community, neighborhood determines the day to day functioning of the sex worker. The meso-systems would comprise of local hospital and clinics, law enforcing bodies, non-governmental organizations, schools which act as mediators between the macro and micro systems. The meso systems are also the implementing bodies of the government policies. Corruption and ineffectiveness of these systems had a direct impact on the sex worker. The macro systems such as the economic, political, social and legal systems also have direct and indirect impact on the sex workers. Though policy formulation is the function of the government and the legislatures, the programs that evolve from the policy directly affect the individual sex worker. The inter-linkages of the various systems need to be

studied and monitored carefully time to time.

### **Steps to fight with Prostitution in India:**

Multidimensional approaches such as government, NGOs and other welfare organizations, social workers, legal systems using existing laws, mahila manda, feminist organizations, local youth clubs, need to fight with prostitution in India.

- 1) Formal education and sex education should be made available to those victims who are still within the school going age, while non-formal education should be made accessible to adults also
- 2) The Central and State Governments in partnership with non-governmental organizations should provide gender sensitive market driven vocational training to all rescued victims
- 3) Rehabilitation and reintegration of rescued victims being a long-term recruitment of adequate number of trained counselors and social workers in institutions/homes run by the government independently or in collaboration with non-governmental organizations.
- 4) Awareness generation and legal literacy on economic rights, particularly for women and adolescent girls should be taken up
- 5) Adequate publicity, through print and electronic media including child lines and women help lines about the problem of those who have been forced into prostitution
- 6) Culturally sanctioned practices like the system of devadasis, jogins, bhavins, etc. which provides a pretext for prostitution should be addressed to the public.

### **Laws Related to Prostitution in India**

The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956

Amendment Proposed in Immoral Traffic (Prevention) Act 1956

The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006

The Immoral Trafficking Prevention Act, 1956 ("ITPA"), the main statute dealing with sex work in India, does not criminalize prostitution or prostitutes per se, but mostly punishes acts by third parties facilitating prostitution like brothel keeping, living off earnings and procuring, even where sex work.

### **Immoral Traffic (Amendment) Bill, 2006**

The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006 amends the Immoral

Traffic (Prevention) Act, 1956 to combat trafficking and sexual exploitation for commercial purposes.

- 1) The Bill declares provisions that penalized prostitutes for soliciting clients. It penalizes any person visiting a brothel for the purpose of sexual exploitation of trafficked victims
- 2) All offences listed in the Bill would be tried in camera
- 3) The term 'trafficking in persons' has been defined with a provision for punishing any person who is guilty of the offence of trafficking in persons for the purpose of prostitution
- 4) The Bill constitutes authorities at the centre and state level to combat trafficking.

The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006 aims to punish traffickers and provide for stringent punishment to offenders.

**Key features**

This Bill has five main features.

- 1) It deletes the provisions related to prosecution of prostitutes soliciting for customers.
- 2) It provides for prosecution of clients.
- 3) It defines the term "trafficking in persons" and provides for penalties.
- 4) It increases penalties for some offences and
- 5) It constitutes authorities at the central and state level to combat trafficking.

The proposed amendments in the Bill are compared with the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 in Table.

<b>Comparison of the Bill with the existing law</b>		
	Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006	Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
<b>Definitions</b>	“Child” means a person who has not completed 18 years.	“Child” means a person who has not completed 16 years of age. Any person below 18 years but above 16 years is a “minor”.
	“Prostitution” means the sexual exploitation of persons for commercial purposes or for consideration in money or any	“Prostitution” means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes.

	Anyone who recruits or transfers a person for the purpose of prostitution by means such as threat, coercion or abuse of power commits the offence of "trafficking in persons".	Not defined.
<b>Offences</b>	Any person found in a brothel for sexual exploitation of any victim of trafficking shall, on first conviction, be punishable with imprisonment for up to 3 months or fined up to Rs 20,000 or with both. On subsequent conviction, he can be imprisoned for a maximum period of six months and fined up to Rs 50,000.	No provision.
	On first conviction, punishment for keeping or allowing premises to be used as a brothel is one to three years rigorous imprisonment and a fine of up to Rs 10,000. Subsequent convictions are punishable with three to seven years imprisonment and a fine of up to Rs 2 lakh.	On first conviction, punishment for keeping or allowing premises to be used as a brothel is one to three years rigorous imprisonment and a fine of up to Rs 2,000. Subsequent convictions are punishable with two to five years imprisonment and a fine of up to Rs 2,000.
	Trafficking in persons is punishable on first conviction with rigorous imprisonment for a minimum of seven years. On subsequent conviction, the offender would be imprisoned for life.	Procuring or inducing a person for prostitution would be punishable on conviction with rigorous imprisonment for three to seven years and a fine of up to Rs 2,000. If the offence is committed against a person's will, the penalty would be imprisonment for 7-14 years.
	The offence of procuring or inducing a child for the sake of prostitution is punishable by rigorous imprisonment for seven years to life.	The offence of procuring or inducing a child for the sake of prostitution is punishable by rigorous imprisonment for seven years to life. In case of a minor, it would be rigorous imprisonment for 7 to 14 years.
	No provision.	Seducing and soliciting for the purpose of prostitution is a punishable offence.

<b>In-camera Trial</b>	No provision.	Prostitutes can be removed from local jurisdiction of a Magistrate and be prohibited from re-entering the place.
<b>Enforcement</b>	All offences under the Bill shall be tried in-camera, i.e. the public would be excluded from attending the trial.	No provision.
<b>Authority</b>	A special police officer, not below the rank of Sub-Inspector, shall be appointed to deal with offences under the Act.	A special police officer, not below the rank of Inspector, to be appointed to deal with offences under the Act.
<b>Money Laundering</b>	The central and state governments may establish authorities to combat the offence of trafficking in persons.	No provision.
	Trafficking in persons added to the offences listed in the Money Laundering Act, 2002.	No provision.
<b>Sources:</b> Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2006; Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956; PRS		

### Section 3 of ITPA:

Punishment for keeping a brothel or allowing premises to be used as a brothel.

(1) Any person who keeps or manages, or acts or assists in the keeping or management of, a brothel, shall be punishable on first conviction with rigorous imprisonment for a term of not less than one year and not more than three years and also with fine which may extend to two thousand rupees and in the event of a second or subsequent to conviction with rigorous imprisonment for a term of not less than two years and not more than five years and also with fine which may extend to two thousand rupees.

(2) A any person who, -

- (a) Being the tenant, lessee, occupier or person in charge of any premises, uses, or knowingly allows any other person to use, such premises or any part thereof as a brothel, or
- (b) Being the owner, lessor or landlord of any premises or the agent of such owner, lessor or landlord, lets the same or any part thereof with the knowledge that the same or any part thereof is intended to be used as a brothel, or is willfully a party to the use of such premises or any part thereof as a brothel, shall be punishable on first conviction with imprisonment for a

term which may extend to two years and with fine which may extend to two thousand rupees and in the event of a second or subsequent conviction, with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years and also with fine.

(2-A) For the purposes of sub-section (2), it shall be presumed, until the contrary is proved, that any person referred to in clause (a) or clause (b) of that subsection, is knowingly allowing the premises or any part thereof to be used as a brothel or, as the case may be, has knowledge that the premises or any part thereof are being used as a brothel, if, -

- (a) A report is published in a newspaper having circulation in the area in which such person resides to the effect that the premises or any part thereof have been found to be used for prostitution as a result of a search made under this Act; or
- (b) A copy of the list of all things found during the search referred to in clause (a) is given to such person.

### Section-5.

Procuring, inducing or taking person for the sake of prostitution. (1) Any person who-

- (a) Procures or attempts to procure a person whether with or without his/her consent, for the purpose of prostitution; or
- (b) Induces a person to go from any place, with the intent that he/she may for the purpose of prostitution become the inmate of, or frequent, a brothel; or
- (c) Takes or attempts to take a person or causes a person to be taken, from one place to another with a view to his/her carrying on, or being brought up to carry on prostitution; or
- (d) Causes or induces a person to carry on prostitution; shall be punishable on conviction with rigorous imprisonment for a term of not less than three years and not more than seven years and also with fine which may extend to two thousand rupees, and if any offence under this sub-section is committed against the will of any person, the punishment of imprisonment for a term of seven years shall extend to imprisonment for a term of fourteen years:

### Key Issues of the Bill

Issues are discussed below.

- **Legality of Prostitution** : The Bill defines "prostitution" as sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes and a "brothel" as any house or place which is used for purposes of sexual exploitation for the gain of another person or for the mutual gain of two or more prostitutes. Although the Bill does not penalize an individual if he is in prostitution for his own profit, it penalizes prostitution if carried on in a brothel or from any public place within 200 meters of an educational

institution, place of religious worship, hotel, hospital, nursing home or any public place notified by the Commissioner of Police or Magistrate. Such clauses, while technically not prohibiting prostitution, make it almost impossible for a person to operate as a prostitute. Thus, the Bill lacks clarity on whether prostitution ought to be a legitimate way of earning a living if the person enters or stays in the profession out of choice.

- **Punishing Clients :** The Bill seeks to penalize any person who visits a brothel for the purpose of sexual exploitation of a trafficked victim. The issues that arise out of such a provision are as follows. It would be difficult for a person visiting a brothel to distinguish between a trafficked person and a non-trafficked person. A person is penalized only if he sexually exploits a trafficked victim. If the victim is not trafficked, the client would not be penalized. Any person visiting or found in a brothel can be penalised if the purpose of the visit is sexual exploitation of a trafficked victim. However, as the term 'sexual exploitation' is not defined in the Bill, it could lead to harassment of every person who visits a brothel irrespective of the object of his visit. International experience suggests that the provision to penalize clients may not be an effective way to curb sexual exploitation. For example, Sweden views prostitution as an aspect of male violence against women and children and penalizes the act of purchasing sexual services.
- **Trafficking Limited to Prostitution :** India is a signatory to the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime. This Protocol defines 'trafficking in persons' as 'the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force'. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs." While the UN Protocol covers trafficking for situations other than prostitution, the Bill only penalizes the offence of trafficking if the victim is used for the purpose of prostitution. Trafficking in persons for other purposes such as domestic labour, bonded labour, begging, camel jockeying, and organ trade do not fall under the purview of the Bill. While there are a number of laws that penalize certain offences such as slavery, unlawful compulsory labour, and begging, it does not cover every situation where trafficked victims can be exploited. There could be a case for a comprehensive law on trafficking in persons rather than one linked only to prostitution.

### **Shall India Legalize Prostitution?**

Now, the question comes to our mind, whether India should legalize prostitution or not. Some people feels that prostitution shall be made legal in India and accept the mass a

part of society because the problem of prostitution is inevitable. The benefit of legalizing prostitution in India will be that at least we will have a track record of Sex workers as for example when dance bar in Bombay were closed in 2008, most of the bar dancers migrated to Gujarat and Karnataka and other neighboring state and started their business undercover. Legalizing prostitution will see these women, who live life on the edge everywhere, gaining access to medical facilities, which can control the spread of AIDS. There is a very strong need to treat the sex industry as any other industry and empower it with legal safeguards. The practical implications of the profession being legal would bring nothing but benefits for sex workers and society as a whole. Keeping prostitution illegal also contributes to crime because many criminals view prostitutes and their customers as attractive targets for robbery, fraud, rape, or other criminal acts. The criminals realize that such people are unlikely to report the crimes to police, because the victims would have to admit they were involved in the illegal activity of prostitution when the attacks took place, now if it is legal then they will easily go and report this to police.

But, it is a myth that legalizing prostitution will stop pimps and brothels. Fact is that, it will benefit pimps and traffickers and not victims. Legalizing Prostitution will not be culturally accepted by Indian society. Prostitution is an exploitation of women and this commercial sexual exploitation is a form of slavery and slavery cannot be legalized. Legalizing will give this exploitation a legal shelter. Most prostitutes are victims of the trafficking and thus they do not see it as a profession. Thus it should not be legalized when seen as a profession. Positive outlook towards legalization could be the following such as:

1. Legalization of prostitution and the sex industry will stop sex trafficking.
2. Legalization of prostitution will control the sex industry.
3. Legalization of prostitution will decrease clandestine, hidden, illegal and street prostitution.
4. Legalization of prostitution will protect the women in prostitution as they will have rights.
5. Women in systems of Prostitution want the sex industry legalized as they are the one who suffers the most as they don't have any rights.
6. Legalization of prostitution will promote women's health as they can have easy access to medical facilities which they don't have when it is illegal.
7. Recognizing prostitution as an economic activity, thus enabling women in India to obtain working permits as "sex workers".

### **Government's Initiatives**

Indian government authorities made significant progress in law enforcement efforts against sex trafficking and forced child labor during the year, but made little progress in addressing bonded labor. The Constitution of India, under Article 23, prohibits trafficking of human beings for any exploitation. However, the ITPA takes into consideration only trafficking for sexual exploitation. This is a special legislation with stringent provisions for

punishing violators and exploiters, with enhanced punishment for sexual exploitation of children. There are several steps prescribed in this legislation towards prevention of trafficking. However, it is a fact that most of the provisions of the law remain un-enforced and unimplemented. State governments continued to demonstrate efforts to address forced child labor, but failed to punish most traffickers. For an example, in February 2009, the New Delhi government rescued over 100 children from forced labor situations. In Jharkhand (with a population of 29 million people), the state labor ministry and police, in collaboration with an NGO, conducted raids on 120 establishments during a planned operation and rescued 208 children from forced or bonded labor situations.

The central government has allocated funds to the Ministry of Home Affairs to create anti-human trafficking units across the nation to train and sensitize law enforcement officials. According to NGOs, state-level officials who received such training in the past are increasingly recognizing women in prostitution as potential victims of trafficking and therefore not arresting them for solicitation.

India's central government faces several challenges in demonstrating a more robust anti-trafficking effort: states under the Indian Constitution have the primary responsibility for law enforcement and state-level authorities are limited in their abilities to effectively confront interstate and transnational trafficking crimes; complicity in trafficking by many Indian law enforcement officials and overburdened courts impede effective prosecutions; widespread poverty continues to provide a huge source of vulnerable people; and the Indian government faces other equally pressing priorities such as basic healthcare, education, and counter terrorism.

Most traffickers are not prosecuted due to their political backing. The significant problem of public officials' complicity in sex trafficking and forced labor remains largely unaddressed by central and state governments. Corrupt law enforcement officers reportedly continues to facilitate the movement of sex trafficking victims, protect brothels that exploit victims, and protect traffickers and brothel keepers from arrest and other threats of enforcement.

Since trafficking is an organized crime, involving a multiplicity of actors linked together in a chain, professional methods of dealing with them are called for. Certainty and stringency of punishment of the exploiters, without any delay whatsoever, is the essential requirement for preventing trafficking. Simultaneously, the victims need to be rescued and rehabilitated. As lack of priority, time and sensitivity as well as ignorance of the issues concerned are commonly seen as the factors responsible for the present day dismal picture in enforcement, an effective networking of the law enforcement agencies with NGOs can make adequate dent in the given situation. Effective methods of rehabilitation, counseling, reintegration, redressed of grievances and monitoring are instrumental in ensuring that the rescued persons are not re-trafficked.

Organizing various consultations and conferences on trafficking on national and

regional level will be the platform for generating awareness. Networking should aim at improving the trans-national assistance and protection to trafficked persons. Networking is also a tool for joint advocacy work in seeking the improvement of legislation at international and national levels and their enforcement. Regardless of the targets and focus of the awareness rising, particular attention should be paid to the dangers of domestic violence, as this is often a breeding ground and catalyst for trafficking in human beings.

### **Conclusion**

Government has not been able to remove the prostitution from the society and it is increasing with trafficking and spreading of AIDS. Thus this should not legalize as it would benefit pimps rather benefitting the victims. What is required is more concern for victims in matters of health problems. Indian government with the collaboration of welfare agencies and NGOs should provide health facilities to the victims to stop the AIDS. What is needed is more concern from the government and public awareness and strict implementation of the existing laws and policies. Advocacy is the key to policy change. Social workers, sex workers rights' activists, feminists and sex workers themselves should come together in order to advocate for a policy that eliminates victimization and exploitation and at the same time supports the individual's right to autonomy and self-determination. Policy change and effective social programs would indeed help in minimizing crime and maximizing safety in the sex sector. In our opinion, the issue of prostitution needs urgent attention and there can be no further delay in this regard. Sex workers are also humans and they deserve an equal status and dignity in the society.

### **References**

1. Asia Watch and Women's Rights Project, (1993), 'A modern form of slavery: Trafficking of Burmese women and girls into brothels in Thailand' New York: Human Rights Watch.
2. Frederick, J. (Ed.). (2000). Fallen angels: The sex workers of South Asia. New Delhi: Luster press.
3. Joardar, B. (1984). Prostitution in historical and modern perspectives. New Delhi: Inter-India Publications.
4. Lim, L. (Ed.). (1998). The sex sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia. Geneva: International Labor Organization.
5. Network of Sex Work Projects, (2003), 'Making Sex Work safe'. Retrieved October 9th, 2005 from <http://www.nswp.org>
6. A Report on 'Trafficking in Women and Children in India 2002-2003' by NHRC, UNIFEM and ISS Project.

## **TERRORISM AND COUNTER - TERRORISM IN SOUTH ASIA REGION**

**Dr. (Major) Indrajeet Singh**  
Reader & Head  
Department of Military Studies,  
P.P.N. College, Kanpur

**Dr. Pradeep Kumar Singh**  
Former Sr. Research Fellow,  
Department of Military Studies  
P.P.N. College, Kanpur

Today, the South Asian States are increasingly faced with high level of political violence in the form of terrorism by organised groups as well as sporadic incidents of terrorism. There has been a marked rise in terrorism in general in SAR. A lot of civilian lives have been lost in terrorism violence. There has been an increase in assassinations of leading personalities and in attacks against commercial targets.

For instance, the form of terrorism which poses the greatest danger to the peace and stability in SARC is sponsored terrorism. Sponsored terrorism operates from safe area in another country which is out of reach of the counter-insurgency forces of the targeted country. In peacetime, surrogate forces can be launched with the help of religious, zealots, mercenaries or domestic element with religious or ethnic affinities with the sponsoring country. Unleashing of brutal violence against innocent civilian and ethnic cleansing has often been resorted to mercenaries (Islamic) terrorist groups operating in Kashmir and Afghanistan. Ruthless killing and brutal killing and brutal assassinations have been carried out by Sri Lankan terrorist groups against different ethnic groups.

Terrorism of late has taken the form of a cult, a faith and a philosophy. Terrorism and fundamentalism are now closely interlinked. One scholar has assigned even the parenthood of terrorism to fundamentalism itself. Hence, in examining terrorism as a weapon and terrorism as a factor in the international relations, the growth of fundamentalism must be investigated.<sup>1</sup>

As mentioned above, the SAR is the worst affected area in the world. The Soviet intervention in Afghanistan brought the turmoil in the region to the notice of world community, but sponsored violence and transnational-terrorism in other part of South Asia received little attention. The ongoing Indo-Pakistan confrontation over Kashmir masked the activities of international terrorism in SAR. As a result, the activities of agencies, which launched terrorists across international borders, continued unhindered.<sup>2</sup>

Afghanistan and Pakistan have become main launching pads of militant Islam. Warlike tribal of Afghanistan and North-Western Pakistan are easily converted into fanatical terrorists groups and send missions to destroy 'infidel' and restore the 'kingdom of Allah'. The rugged terrain of the western Pak-Afghan borders is ideally suited for establishment of secret bases and training camps for Islamic militants. The strategic location of these camps at the crossroads of South and Central Asia put them within easy reach of targeted Central Asia

and India. Transnational terrorist groups have been launched into Kashmir, Xinjiang and Tajikistan since 1992.

In Jammu and Kashmir (India), the pattern of Islamic mercenary activities during the past few years suggests that their infiltration and terrorist operations have increased both in breadth and intensity, with the corresponding decline in the local support and popularity of militant groups in Kashmir. Restoration of the democratic process and establishment of the duly elected government in the state in September 1996, delivered a big blow to Pakistan in its proxy war in Kashmir. Now Pakistan intensified its efforts to induct mercenaries into Kashmir to carry out sabotage, targeted killings and attacks on security forces. The Pakistan-sponsored mercenaries have been employing the local Hizbul Mujahideen cadres for security hideouts, logistics and also to act as local guides in their terrorist operations. These Islamic mercenaries enacted to the Hindu minority in various parts of Jammu and Kashmir, during the first seven months of 1998.<sup>3</sup>

Pakistan has denied direct links with these groups. However, the recent US missile attacks on terrorist camps in Afghanistan and Pakistan confirm their involvement. Pakistan has deliberately chosen terrorism as an instrument of state policy for the subversion and destabilisation of selected neighbouring states.<sup>4</sup>

In Sri Lanka, the ethnic differences between the Sinhalese and Tamils turned into violent conflict, in which terrorism played a dominant role. From 1983 onward, widespread ethnic riots aggravated the situation. The army and police, largely Sinhalese, in composition, played a partisan role, forcing the Tamils to organise their own defence. Over a period of time LTTE militant cadres also started attracting isolated army and police posts, drove away or killed Sinhalese settled on the fringes of Tamil dominated areas. The LTTE eventually converted Jaffna into a strong fortress and run a parallel government in the Tamil dominated areas of northern and eastern Sri Lanka. The LTTE's most spectacular terrorist attack in 1997 was a truck bombing directed at the newly opened Colombo World Trade Centre on 15 October.

Insurgencies and tribal conflicts have been endemic in the eastern regions of South Asia. The international borders are highly porous and insurgents can move across them with ease. Indo-Mongoloid ethnic stock is dominant in the entire region and most tribes of India, Myanmar and Bangladesh have close cultural and ethnic affinities. The Himalayan kingdom of Bhutan, north of the Indian state of Assam is also used by insurgents to escape from the security forces, who cannot pursue them across the international border. North-Eastern India comprises seven states. Most of them are insurgency prone due to their inaccessibility, isolation from national mainstream. External support comes from Pakistan and China in the form of training and financial assistance. Lately, Pakistan has again stepped up material from India frequently operate from bases in Myanmar, Bangladesh and Bhutan. The increase flow of arms in North-East India, the rise of Islamic fundamentalist groups in Bangladesh and the

dangerous potential of the situation in Myanmar has the potential to generate widespread violence in the SAR.<sup>5</sup>

It is obvious that international and trans-border terrorism is rampant and much of it involves Islamic fundamentalists. It is not a work of an individual or isolated group several countries and many organisations are deeply involved in creating and sponsoring such terrorist networks, directly by providing them arms and training bases and indirectly by funding huge amount of money and subversive literature into the target countries.

### **Counter - Terrorism in SAR**

Threat from the cross-border terrorism and separatism, nexus between narcotic mafias and terrorist and insurgents groups, religious and political extremisms and aggressive nationalism pose new challenges to the viability of large multi-ethnic, multi-lingual, multi-cultural and multi-religious nation-states of the South Asian Region (SAR) and there is a pressing need to combat these challenges through democracy, secularism, tolerance, regional co-operation and rule of law. Religious fundamentalism and communalism are under-mining the vitals of the civilian society of the SAR, eroding democratic values, norms and institutions and perpetuating the acts of violence and terrorism.

The nation-states of SAR are inter dependent in their security affairs such as that security of one state is strongly affected by action of the other states and vice-versa.<sup>6</sup> Terrorism and religious extremism and nexus between narcotic mafias and terrorist/insurgent groups pose a critical threat to the political stability, economic development, technical advancement and national security of the nation-states of the SAR and there is an urgent need to develop a common approach through the institutions of co-operative security such as SAARC to resolve the problems of 'security and prosperity' and to share the benefits of democracy, economic development, and science and technology.<sup>7</sup>

The foreign policy of the nation-state is formulated essentially in defence of its national security. Hence, one can agree that foreign policy of a nation-state is preliminary a policy of national security<sup>8</sup> and influenced to a certain extent by the present and future international policies, but each nation-state has its own domestic compulsions which determine to a large extent nature of its foreign ad securities policies.

In the context of current security environment in the SAR and in analysing the intra-regional and extra-regional threat to the political stability, economic development and security of he SAR, one cannot deal with a nation-state of the SAR merely as a separate entity or a small country but has to rock on with all the socio-cultural and politico-strategic linkage, it has required with intra-regional states and extra-regional forces or outside world.<sup>9</sup> To protect the security of a nation-state by peaceful means if possible and by giving every assistance to military operation it cannot be avoided could be the object of the diplomacy of a national state of the SAR. Crypto-diplomacy will not work in the existing security

environment in the SAR as experienced by the both Sri Lanka and India in ethnic conflict from 1983-1990.<sup>10</sup>

The idea of co-operative security was pursued at Asian Relations Conference at New Delhi in 1947 with an objective to develop inter-dependence between the nation-state of Asia Continent in the matter of socio-economic development, diplomacy and consequently to provide a basis for the formation of 'Regional Security Community'.<sup>11</sup>

A comprehensive examination of foreign and security policies of India past and present revealed that no Indian version of Monroe Doctrine has functioned in South Asia<sup>12</sup> but the state policies are formulated primarily and essentially in the defence of her national security. The security policies of India articulated by her early leaders such as Pt. Jawahar Lal Nehru emphasised the 'area of peace' around India rather than limiting the security doctrine of India herself.

The idea of co-operative institution of SAR was the brain-child of President Zia-Ur-Rahman of Bangladesh. The nation-states of SAR were worried about the inter-regional conflicts in which few of them are involved. They also recognised that the recurrence in intra-regional conflicts and tension is a threat to the stability and security of SAR as a whole. Therefore, their first and foremost concern is the containment of terrorism.

### **SAARC Initiatives to Combat Terrorism in SAR**

- Working Paper prepared by Bangladesh : SAARC Study Group Meeting on Terrorism : June - 12-14, 1986 Dhaka, Bangladesh.
- Report of Study Group Meeting on Terrorism : June - 12-14, 1986 Dhaka, Bangladesh.
- Working Paper Presented by Bangladesh : SAARC Expert Group Meeting on Terrorism : September 20-21, 1986 Dhaka, Bangladesh.
- Report of SAARC Expert Group Meeting on Terrorism : September 20-21, 1986 Dhaka, Bangladesh.
- Second SAARC Summit in Bangalore : Draft Declaration to combat Terrorism : November 17, 1986.
- Third SAARC Summit in Kathmandu : SAARC Regional Convention on the Suppression of Terrorism : November 4, 1987.
- The member states of SAR have not made any serious effort to implement the SAARC Convention on Terrorism. In the Eleventh Summit in Kathmandu (Jan. 2002) the leaders of the SAARC have taken a pledge to make collective efforts to stamp out terrorism. SAARC member states expect Pakistan have joined hands with India to combat/fight the deadly epidemic of terrorism.

In the post W.T.C. attacks, strategic environment and perception about terrorism had undergone a big change. The nation-states of SAR have a common interest and challenge to combat terrorism at global level and the SAARC particular. Hence, counter-terrorism must

be an international venture due to the transnationalisation of terrorist groups in the matters of their political and religious support, funding, armament and strategics.<sup>13</sup>

Counter-terrorism needs societal mobilisation and effective intelligence efforts.<sup>14</sup> The terrorism and religious extremism in SAR may not be altogether eliminated but these can be contained by the sincere and concerted efforts of Governments and peoples of the nation-states of SAR. The formation of 'Citizens Commission for South Asia'<sup>15</sup> and the proposal to established the 'South Asian People's Union' against Fundamentalism and Communism.<sup>16</sup> Are right steps to work together to improve the lives of the people of the SAR.

The established of South Asian Regional Security community is essential to crte consensus on the matter of 'Security ad Prosperity' of the SAR. The fight against terrorism must be the common aim of the Government and Defence Forces for the welfare of the people of SAR. Pakistan have bee accused of making the religious madarasas as breeding ground of terrorist and brain-washing and training of the youths i the training camps all along the Indo-Pakistan international border. Why we should not make the every primary school a 'madarsa' of national security studies? The study and teaching of national security studies in the institutions of higher learning is essential to create a new strategic thinking to develop a sound of co-operation and comprehensive security system in the SAR.

#### Operatioal Weaknesses

SAR has to carry out the fight against terrorism under a number of constraints and limitations. Following are the main constraints which SAR forces in dealing with terrorism.

- Tedious, slow moving, complex and almost outdated judicial system of criminal justice.
- Lack of public support and negative response of the people due to mass fear psychosis created by terrorists.
- Lack of adequate and timely intelligence about terrorists, their hideouts, their operational techniques etc.
- Lake of up-to-date about criminals, terrorists and other anti-social elements.
- Need to maintain Rule of Law.
- Fear in the hearts of many police officers belonging to Jammu and Kashmir about their relatives and other family members residing unprotected.
- Corruption in police organisation.
- Allegations of false encounter and harassment of the public.
- Lack of modern techniques and equipments for interrogation of terrorist.
- Inadequacy of modern weapon transport and means of communications.
- Lack of political will to deal with the problem.
- Ineffective control on flow of illegal arms and ammunition.
- Smuggling and border crossing causing corruption in society.

- Protection of public from inconvenience due to curfews and the problem of maintaining a liberal state, and
- Lack of Moral support and motivation.

### References

1. Narang, A. S. Srivastava, Pramila, *Terrorism : The Global Perspective*, Kaniska Publication, New Delhi, 2001, p. 119.
2. Ibid, p. 120      3. Ibid, p. 122      4. Ibid, p. 124      5. Ibid, p. 125
6. Helga, Hafterndon, "The Security Puzzle : Theory Building and Discipline Building in International Security", *International States Quarterly*, Vol. 35, No. 1, March 1991, p. 17
7. Poulese, T.T. "The Indian Ocean in India's Foreign Policy", in Satish Kumar (Ed.) *Year Book on India's Foreign Policy, 1982-83*, New Delhi, 1985, p. 192.      8. Ibid, P. 194
9. Singh, Satyavir, "Pakistan and US Arms : Compulsions and Complexities", in K. S. Nagar and Ltd. Col. Gautam Sharma (Ed.) *India's Security : Super Power Threat*, Relience Publication, New Delhi, 1987, p. 85.
10. Norma, D. Palmer and Howard, C. Perkins, *International Relation : The World Community in Transition*, Scientific Book Agency, Calcutta, 1969, p. 85.
11. Indian Intelligence Agencies - Research and Analysis Wing (RAW) and Intelligence Bureau (IB) and Paramilitary Forces were accused of providing training and arms to Tamil insurgents at base camp in Tamilnadu (India). See, A. Sivarangah, "Indo-Sri Lanka Relation and Sri Lanka's Ethnic Crisis : The Tamilnadu Factor" In Sheltan U. Kodikar (Ed.) *South Asian Strategic Issue : Sri Lanka Perspectives*, Sage Publication, New Delhi, 1992, p. 135-157 and Devin, T. Hagenty, "India's Regional Security Doctrine", *Asian Survey*, California, Vol. XXXI, No. 4, April 1991, p. 350-363.
12. Bnergee, Maj. Gen. Dipankar, *Security in South Asia : Comprehensive and Cooperative*, Manas Publication, New Delhi, 1984, p. 292.
13. Raju, G. C. Thomas, *Indian Security Policy*, Princeton University Press 1986, p. 14 and Singh, S. Man, *India's Search for Power : Indira Gandhij's Foreign 1982*, Sage Publication, New Delhi, 1984, p. 292.
14. Perera, A. Rohan, *International Terrorism*, Vikash Publication, New Delhi, 1997, pp. 111-131.
15. Bajpai, K., "India U.S. Foreign Policy Concerns : Co-Operation and Conflict" In Garry K. Bertch, Seema Gautamt and Anupam Srivastava (Eds.), *Engaging India, U.S. Strategic Relation with the World's Largest Democracy*, Toutledge, New York, 1999, p. 200.
16. Subrahmanyam, K., "A Citizen's Commission : Strengthen Civil Society in South Asia", *The Times of India*, New Delhi, Dec. 18, 2000.

## बुन्देलखण्ड में दुर्ग निर्माण की प्राचीन परम्परा

—डॉ० पुरुषोत्तम सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर

इतिहास विभाग

वी० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर

विश्व में जब भी मानव ने सामाजिक रूप से अधिवासों में निवास करना प्रारम्भ किया होगा, उसकी प्रमुख समस्या सुरक्षा की रही होगी। प्रागैतिहासिक ग्रामीण बस्तियों को भी खाईयों अथवा कटीली बाड़ों से घेरकर सुरक्षित करने के प्रमाण मिलते हैं। किसी भी बस्ती तक पहुंचने को अत्यन्त कठिन बना देने का संकल्प ही दुर्ग के प्रत्यय को जन्म देता है। ग्राम्य बस्तियों को वन्य एवं हिंसक जन्तुओं से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास क्रमागत रूप से समयानुसार बड़ी बस्तियों के हमलावरों से सुरक्षित करने के साधनों तक पहुंच गये। विशेष रूप में भारत में प्राचीन काल से ही अरण्य, ग्राम्य एवं नगरीय जनजीवन तीनों का अपना पृथक-पृथक स्थान एवं महत्व रहा है।<sup>1</sup> परन्तु आगे चलकर दुर्ग व्यवस्था नगरीय जनजीवन में विशेष रूप से दृष्टिगत हुयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि कई बार कोई ग्राम ही विभिन्न कारणों से विकसित होता हुआ नगर का रूप ले लेता था। इस नगरीकरण में व्यापार मार्ग, शिक्षण केन्द्र एवं धर्म केन्द्रों का विशेष प्रभाव देखा जाता है। द्वितीय वर्ग में वे बस्तियां आती थीं, जिनका उद्गम सोद्देश्य एवं संकल्प पूर्वक नगर के रूप में होता था। इनकी उत्पत्ति के कारण प्रायः राजकीय आवश्यकतायें होती थीं।<sup>2</sup> सुरक्षा के साधन, शासन की सृद्धता एवं सुव्यवस्था, सैनिक प्रबन्ध तथा प्रसिद्ध राजभवनों एवं राज-प्रसादों की स्थिति इनके विशिष्ट लक्षण थे। ये सभी अवयव दुर्ग निर्माण से सम्बन्धित अधिवासीय परम्परा से ही सुरक्षा प्रमुख आवश्यकता थी और इस आवश्यकता ने कब सुव्यवस्थित दुर्ग निर्माण का स्वरूप ले लिया, यह कहना कठिन है।<sup>3</sup>

गंगा के मैदान की तुलना में बुन्देलखण्ड में अधिवासीय परंपरा विलम्ब से प्रारम्भ हुई। विशेष रूप से नगरीकरण का स्वरूप बहुत बाद में देखने को मिलता है। चेदि एवं दशार्ण राज्यों के विकसित होने पर यहां नगरीकरण का प्रारम्भ हुआ होगा। प्राचीन नगरों में शाहगति एवं शुक्तिमती<sup>4</sup> जैसे नगरों की चर्चा है, परन्तु वर्तमान में उनकी स्थिति का पता लगाना कठिन है। शाहगति यमुना के दक्षिण तट पर एवं शुक्तिमती (शिशुपाल की राजधानी) शुक्तिमती नामक नदी के तट पर स्थित थे।<sup>5</sup> वर्तमान चन्देरी को भी शिशुपाल का नगर होने का श्रेय दिया जाता है। निश्चित रूप से भारत में इस समय तक विशिष्ट दुर्ग निर्माण प्रारम्भ हो चुका था।

अतः उपरोक्त नगर भी दुर्ग युक्त रहे होंगे। महाभारत काल के बाद इस क्षेत्र का शासन समीपवर्ती सत्ताओं जैसे पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जयिनी आदि से शासित रहा तथापि यहां नगर बनते और बिगड़ते रहे। ये निश्चित रूप से दुर्ग नगर ही थे। बुन्देलखण्ड के अध्ययन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनेक महत्वपूर्ण दुर्गों का प्रथम निर्माण कब हुआ, यह निश्चित नहीं है। अतः सिद्ध है कि बुन्देलखण्ड में भी प्राचीन काल से ही दुर्ग निर्माण की परंपरा रही है जिसमें नगरों को प्राकृतिक कारकों के साथ-साथ खाई, परिखा, प्राकार आदि के निर्माण के माध्यम से दुर्गम बनाया जाता था।<sup>6</sup> बुन्देलखण्ड की इस दुर्ग निर्माण परम्परा का विश्लेषणात्मक विवरण परम्परागत कालखण्डों में निम्नवत प्रस्तुत हैं।

### प्राचीन काल

प्राचीन ऐतिहासिक कालखण्ड में राज्य सत्ता की स्थापना बुन्देलखण्ड में महाभारत काल से देखने को मिलती है। महाभारत का प्रसिद्ध योद्धा और शासक शिशुपाल था, जिसने इस क्षेत्र को अपने प्रबल पुरुषार्थ से चेदि देश का नाम दिया। चेदि वंश का संस्थापक वसु था, जिसके पुत्रों वृहद्रथ ने मगध, मत्स्य ने विराट राज्यों की स्थापना की थी। शिशुपाल की राजधानी शुक्तिमती थी, जो शुक्तिमती नदी के किनारे बसी थी। चन्देरी को भी शिशुपाल की राजधानी माना जाता है। इसी प्रकार दशार्ण देश (धसान नदी के पार का क्षेत्र) का राजा हिरण्यवर्मा इनका समकालीन था। महाभारत में वर्णित नगर व्यवस्था को देखते हुये स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिशुपाल जैसे सशक्त राजा की राजधानी दुर्गमय रही होगी। महाभारत के अनुसार<sup>7</sup> तत्कालीन मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था में दुर्गरक्षक का महत्वपूर्ण पद होता था। इस समय जो दुर्ग निर्मित होते थे उनमें मजबूत परकोटा, विशिष्ट द्वार और राजप्रासादों का विशेष महत्व होता था।

प्राचीन इतिहास के शोध में जनश्रुतियों का विशेष महत्व होता है। अनेक विद्वानों की राय है कि गंगा के मैदान में आर्यों का अधिकार हो जाने पर अनार्य शासक जिन्हें यातुधान और राक्षस कहा जाता था, यमुना के दक्षिण पार आकर बस गये।<sup>8</sup> इन सन्दर्भों में हिरण्य कश्यपु की राजधानी एरच, बाणासुर की राजधानी बानपुर, शिशुपाल की राजधानी शुक्तिमती, दन्तवक्त्र की राजधानी दतिया और त्रिपुरासुर की राजधानी त्रिपुर का उल्लेख किया जा सकता है, जो वर्तमान में बुन्देलखण्ड अथवा उसकी सीमाओं पर स्थित हैं। एरच में प्रहलाद घाट (हिरण्य कश्यपु के पुत्र प्रहलाद से सम्बन्धित), बानपुर में ऊषा कुण्ड (बाणासुर की पुत्री ऊषा से सम्बन्धित) स्थल इस विचारधारा में सच्चाई की ओर इंगित करते हैं। यदि उपरोक्त स्थल इन प्रतापी योद्धाओं की राजधानियाँ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय यहां दुर्ग भी अवश्य रहे होंगे।

महाभारत काल के पश्चात लम्बे समय तक बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में इतिहास मौन है। मौर्य एवं शुंग राज्य काल में बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध नगर एराकण्या था, जिसे वर्तमान में एरन के नाम से जाना जाता है। एरन में प्राप्त सिक्के एवं मूर्तियों इसके महत्व को प्रतिपादित करती हैं।<sup>9</sup> इससे स्पष्ट है कि यह नगर भी दुर्ग प्राचीरों से सुरक्षित एवं संरक्षित रहा होगा। लगभग इसी काल में बुन्देलखण्ड के पश्चिम में स्थित परवर और पद्मावती (आधुनिक पवाया) में नागवंशीय राजाओं का शासन रहा।<sup>10</sup> तत्कालीन समय के बुन्देलखण्ड में स्थित किसी बड़े नगर का उल्लेख नहीं मिलता, केवल एरण इस समय हूणों के प्रभाव में आया। यहां अनेक वर्षों तक गुप्त शासन के प्रतिनिधि मातृविष्णु एवं धान्यविष्णु नामक ब्राह्मणों का शासन रहा।<sup>11</sup> सम्भवतः बटियागढ़ (दमोह) इस काल में एक नगर रहा होगा। इस समय के बने मन्दिर, स्तम्भ एवं मूर्तियों बुन्देलखण्ड में शिल्पोन्नति की न केवल साक्षी हैं, बल्कि भवन निर्माण में सुरक्षित दुर्गों की ओर इशारा करती हैं।

गुप्तकाल में बुन्देलखण्ड स्थित दुर्गों में देवगढ़ का भी महत्वपूर्ण स्थान था। बेतवा नदी के तीव्र ढाल पर वनाच्छादित पहाड़ियों पर स्थित यह दुर्ग बुन्देलखण्ड की पश्चिमी सीमा का प्रहरी था। ऐसा माना जाता है कि गुप्तकाल में इस दुर्ग के अन्दर अधिकांश निर्माण काष्ठ से किया गया था।<sup>12</sup>

### पूर्व मध्य काल

पूर्व मध्य काल में कन्नौज के प्रतापी शासक हर्षवर्धन ने सम्पूर्ण उत्तर भारत में अपना अधिकार स्थापित किया। साथी ही बुन्देलखण्ड भी उसके अधिकार क्षेत्र में रहा। निश्चित रूप से खजुराहो नगर इस समय तक विकसित हो चुका था, क्योंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी तथा यहां नगर के अस्तित्व की चर्चा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि एरण के पराभव के साथ-साथ खजुराहो का अभ्युदय होने लगा था। यह स्पष्ट है कि चन्देलों के प्रभावशाली होने के पूर्व के काल में गोंड, गुर्जर प्रतिहार, सेंगर और परिहारों ने बुन्देलखण्ड के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने सत्ता केन्द्र स्थापित किये।<sup>13</sup> यह वह समय था जब बुन्देलखण्ड में दुर्ग निर्माणों को ठोस नींव पड़ी।

### गोंड एवं गुर्जर परिहार

प्रसिद्ध राजपूत काल में यदि बुन्देलखण्ड की स्थिति को देखा जाय तो भौगोलिक रूप से इसके परिश्चमी भाग कछवाहा, पूर्वी भाग में सेंगर और दक्षिणी भाग परिहारों का दबदबा रहा है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि इनके प्रयासों से बुन्देलखण्ड में किसी बड़े दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि इनके वास्तविक अधिकार क्षेत्र एवं राजधानियां बुन्देलखण्ड से बाहर थे। केवल परिहारों ने दक्षिणी बुन्देलखण्ड में सिंगोरगढ़ नामक प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण कराया।<sup>14</sup>

कछवाहे पश्चिम में कुन्तलपुरी, नरवर से होतु हुये ग्वालियर में स्थापित हो चुके थे, पहां उन्होंने सुदृढ़ता प्राप्त कर ली थी।<sup>15</sup> पूर्वी सीमा में सेंगरों ने कालिंजर से पूर्व की दिशा में, जो प्रायः बघेलखण्ड का क्षेत्र है, राज्य स्थापित किया और इसे डहार प्रदेश का नाम दिया। परिहारों ने उच्चकल्प (उचेहरा) में अपना केन्द्र स्थापित किया तथा मऊ—सहानियां तथा धसान तट पर पचेर में मजबूत गढ़ियों का निर्माण किया।<sup>16</sup> इस काल तक बुन्देलखण्ड में उत्तर के गुर्जर—प्रतिहार तथा दक्षिणी बुन्देलखण्ड में कलचुरि भी अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिये प्रतिस्पर्धी थे। उल्लेखनीय है कि चेदिवंशियों का यह चेदि प्रदेश इस समय अपने पूर्व नाम की आभा को खोकर दशार्ण, डहार, जनवार, बनवार आदि क्षेत्रीय नामों से पुकारा जाने लगा।

चन्देलों के प्रभुत्व के पूर्व उत्तरी बुन्देलखण्ड में गुर्जर—प्रतिहारों तथा दक्षिण में गोंडों का अभ्युदय यहां के लिये उल्लेखनीय तथा दक्षिण में गोंडों का अभ्युदय यहां के लिये उल्लेखनीय घटना है। ज्ञातत्व है कि सेंगर सत्ता का विनाश कलचुरियों ने किया था और कलचुरियों की सत्ता को गोंडों ने चुनौती दी। यद्यपि गुर्जर—प्रतिहारों द्वारा निर्मित किसी दुर्ग का सन्दर्भ बुन्देलखण्ड में उपलब्ध नहीं है, किन्तु अन्य अनेक निर्माण इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने निश्चित ही उत्तरी बुन्देलखण्ड के अधिवासों को सुदृढ़ता प्रदान की होगी। बरूआसागर का जराय मठ मन्दिर उनके शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है।<sup>17</sup> शोधार्थी का मन्तव्य है कि यही वह काल है जहां से बुन्देलखण्ड में निर्मित दुर्गों की परंपरा अभी तक जीवित है। चन्देलकालीन अनेक दुर्ग, जिनमें प्रसिद्ध कालिंजर दुर्ग भी सम्मिलित है, के निर्माण का वास्तविक समय पता नहीं चलता। किन्तु इस समय से इनके अस्तित्व एवं महत्व की चर्चा स्पष्ट रूप से प्राप्त होने लगती है। चेदि वंशीय कलचुरि इस समय तक जबलपुर के आसपास केन्द्रित हो चुके थे तथा अन्य सत्ताओं के साथ उनका गोंडों से भी संघर्ष चल रहा था।

कालिंजर, अजयगढ़ और मड़फा दुर्ग निश्चित रूप से इस समय में अस्तित्व में थे, भले ही उन्हें वैभव चन्देलों द्वारा प्राप्त हुआ हो। गोंड राज्य भी बुन्देलखण्ड के दक्षिणी हिस्से में विकसित हो रहा था और पवई, शाहनगर (दोनों पन्ना जिले में) जैसे स्थलों पर उन्होंने छोटी गढ़ियों का निर्माण कर लिया था।<sup>18</sup>

### चन्देलकालीन दुर्ग निर्माण

बुन्देलखण्ड में चन्देल सत्ता के विस्तार ने दुर्ग निर्माण की परंपरा में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। प्रारम्भ में गुर्जर—प्रतिहार (कन्नौज) सत्ता के सामन्त रहे चन्देलों ने बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में जिस दुर्ग निर्माण परंपरा की नींव डाली, वास्तविक रूप से आज भी मौजूद किलों में उन्हें सबसे प्राचीन कहा जा सकता है। चन्देलों ने दुर्ग के जिस महत्व को

स्वीकार किया, वह आने वाले कालखण्डों गहराता चला गया। परिणामतः चन्देलों के साथ तत्कालीन शासन सत्ताओं ने तथा आने वाली शासक पीढ़ियों ने दुर्ग निर्माण को सत्ता, युद्ध और स्वाभिमान का प्रतीक स्वीकार कर लिया। अतः ज्ञात ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यदि चन्देलों को बुन्देलखण्ड में प्रथम दुर्ग शिल्पी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ विद्वानों की दृष्टि में चन्देलों ने लगभग दो दर्जन दुर्गों का निर्माण किया। अतः चन्देल काल को यहां दुर्ग निर्माण काल कहा जाना चाहिए।

चन्देल तथा कालान्तर में उनके आधीन अथवा समकालीन शासकों ने दुर्ग निर्माण की परंपरा में भौगोलिक, राजनैतिक तथा सामरिक तथ्यों का जिस प्रकार से ध्यान रखा है, वह आश्चर्यजनक लगता है। दुर्ग स्थिति, दृढ़ता, अगम्यता एवं वास्तुशिल्प की अनोखी सूझ जो चन्देलों ने प्रस्तुत की वह लम्बे समय तक यहां की दुर्ग निर्माण कला की परंपरा में बनी रही।<sup>20</sup> चन्देल काल में चन्देलों के अतिरिक्त प्रारम्भिक युग में चेदि, परिहार, कलचुरि एवं बाद में उत्तर चरण में गोंड एवं मुस्लिम शासकों के द्वारा भी किलों का निर्माण किया गया। चन्देलों के प्रमुख दुर्गों को अष्ट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है, जबकि कुछ दुर्ग उनके अधीन सूबेदारों ने भी निर्मित किये हैं।

**अष्ट दुर्ग**— चन्देलों के द्वारा निर्मित दुर्गों की संख्या अधिकांश विद्वानों ने सामान्यतः 08 मानी है, इसलिये इन्हें अष्ट दुर्ग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 21 स्कन्धवार को भी स्वीकार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 08 दुर्गों के नामों पर तथा 21 स्कन्धवारों की संख्या और विद्वानों में सहमति नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि कुछ स्थानों को अधिक अथवा कम महत्व देने के कारण विद्वानों के विचारों में यह अन्तर दिखायी पड़ता है। डा० अयोध्या प्रसाद पाण्डेय ने चन्देलों के 08 दुर्गों में कालिंजर, अजयगढ़, मड़फा, मनियागढ़, कालपी, महोबा, हटा और गढ़ा को स्वीकार किया है।<sup>21</sup> जबकि गोरेलाल तिवारी का मानना है कालिंजर, अजयगढ़, बारीगढ़, मनियागढ़, मड़फा, मौदहा, कालपी, देवगढ़ ही अष्ट दुर्ग है।<sup>22</sup> डा० एस० के० मित्रा अष्ट दुर्गों में मड़फा, कालिंजर, अजयगढ़, महोबा, वारिदुर्ग (बारीगढ़), खर्जूरवाटक (खजुराहो), कीतिगिरिदुर्ग (देवगढ़) तथा गोपगिरि (ग्वालियर), को सम्मिलित करते हैं।<sup>23</sup> तथा डा० बी० एन० रॉय डा० रामशरण शर्मा के विचारों से सहमति जताते हुये स्पष्टतः केवल 07 दुर्गों के नाम—खजुराहों, वारिदुर्ग, अजयगढ़, कीतिगिरि दुर्ग, गोपगिरि, कालिंजर, सोढ़ी पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं।<sup>24</sup>

यदि उपरिखित विद्वानों की सूची को संयुक्त रूप से सुमेलित कर लिया जाय तो इन दुर्गों की संख्या 14 निकलती है, जिनकी सूची इस प्रकार है। कालिंजर, अजयगढ़, मड़फा, मनियागढ़, कालपी, महोबा, हटा, गढ़ा, वारिदुर्ग (बारीगढ़), खजुराहो, देवगढ़, मौदहा,

गोपगिरि, सोढ़ी। यह भी स्मरणीय है कि मदनपुर, बिलहरी, सिरसागढ़ तथा रसिन जैसे दुर्गों को भी विद्वतजन चन्देल दुर्ग ही मानते हैं। यह भी उल्लेखनीय बिन्दु है कि विद्वानों की इन सूचियों में केवल कालिंजर और अजयगढ़ ही दुर्ग ऐसे हैं जो निर्विवाद रूप से सभी सूचियों में स्वीकार्य हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि महोबा और खजुराहो भी सभी की सूचियों में स्थान प्राप्त नहीं कर सके। यह विश्लेषण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि कालिंजर दुर्ग और अजयगढ़ दुर्ग निश्चित रूप से उस काल में अत्यधिक महत्ता को प्राप्त कर चुके थे। अतः इन दोनों महत्वपूर्ण दुर्गों के साथ कुछ चन्देलकालीन दुर्गों का संक्षिप्त विवरण यहां समीचीन होगा।

यदि बुन्देलखण्ड को दुर्ग बहुल क्षेत्र कहा जाय तो निश्चित रूप से कालिंजर दुर्ग को इसका सबसे उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण दुर्ग कहा जाना चाहिये। इस दुर्ग के वैभवकाल के 600 वर्षों के इतिहास में उत्तर भारत का ऐसा कोई महत्वाकांक्षी युद्ध प्रिय शासक नहीं हुआ जिसने इस दुर्ग की प्राचीरों से अपना मस्तक न टकराया हो। वस्तुतः बुन्देलखण्ड के इतिहास का साक्षी कालिंजर दुर्ग यहां का गौरव स्तम्भ है, जिससे शासक पीढ़ियों प्रेरणा लेती रहीं। 'कालिंजराधिपति' की दुर्दमनीय उपाधि प्राप्त करने के लिये न जाने कितने शासकों की इच्छाशक्ति का इसने परीक्षण किया है। आल्हखण्ड में "किला कालिंजर का जाहिर है, मनियादेव महोबे क्यार" कह कर इसकी प्रशंसा की गयी है।

कालिंजर महाकाव्य काल से प्रसिद्ध तीर्थ का स्थान प्राप्त कर चुका था। इसका उल्लेख महाभारत,<sup>25</sup> भागवत पुराण,<sup>26</sup> हरवंश पुराण,<sup>27</sup> ब्रह्म पुराण,<sup>28</sup> में प्राप्त होता है। पुराणों में कालिंजर का नामकरण,<sup>29</sup> स्थिति,<sup>30</sup> तीर्थ,<sup>31</sup> क्षेत्र,<sup>32</sup> आदि के बारे में जानकारी मिलती है। कालिंजर जो प्रारम्भ में धार्मिक क्षेत्र तथा तीर्थ था, महाभारत में 'लोकविश्रुत' की संज्ञा से अभिहित किया गया।<sup>33</sup> कालक्रम में धार्मिक महत्व का केन्द्र कालिंजर राजनीतिक सत्ता का केन्द्र बना है।<sup>34</sup> कालिंजर का तत्कालीन वृहद मार्ग (कौशाम्बी से उज्जयिनी) पर उपस्थित होना तथा भारत के हृदय क्षेत्र में स्थित होना सम्भवतः वे कारण हैं जिन्होंने इस स्थान को राजनीतिक तथा सामरिक महत्व प्रदान किया और इस कारण कालिंजर को दुर्गयुक्त किया गया। निश्चय ही यह दुर्ग समय-समय निर्मित, विस्तृत तथा पुनर्निर्मित होता रहा। विभिन्न स्थलों से प्राप्त कालिंजर के उल्लेख, शिलालेख तथा दुर्ग से प्राप्त मूर्तियां, सिक्के आदि इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि कालिंजर दुर्ग का निर्माण एक आकस्मिक घटना न होकर एक सतत् प्रक्रिया को निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता। कालिंजर दुर्ग सागर तल से लगभग 375 मीटर ऊंचाई पर तथा सामान्य धरातल से से लगभग 278.4 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। कालिंजर नामक पहाड़ी जिसका पृष्ठ भाग हल्के उतार-चढ़ाव वाले ढालों के साथ

लगभग 6 से 8 किमी० दीर्घवृत्ताकार है, पर यह दुर्ग निर्मित है। इस किले की लम्बाई पूर्व-पश्चिम 106 किमी० तथा चौड़ाई उत्तर-दक्षिण 0.80 किमी० है। कालिंजर पहाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 2850 हेक्टेयर है। यह विशाल दुर्ग सैन्य सुरक्षा, आक्रमण, रक्षण आदि के लिये अद्वितीय स्वीकार किया गया है। चन्देलों के पूर्व कलचुरियों,<sup>35</sup> गुर्जर-प्रतिहारों,<sup>36</sup> एवं राष्ट्रकूटों<sup>37</sup> के अतिरिक्त पाण्डुवंशी उदयन ने<sup>38</sup> यहां अधिकार किया। कलचुरि शासकों की 'कालिंजर पुरवराधीश्वर' की उपाधि यह संकेत करती है कि कालिंजर की गणना श्रेष्ठ नगरों में थी तथा इसके शासकों को इसके अधिपत्य पर गर्व था। विभिन्न साक्ष्यों के आधार यह निश्चित किया जा सकता है कि दुर्ग का निर्माण प्रथम शताब्दी ई० से छठी शताब्दी ई० के मध्य हुआ। छठी शताब्दी तक दुर्ग ख्याति प्राप्त कर चुका था तथा राजनीति का केन्द्र बन चुका था।<sup>39</sup> कुछ विद्वान कालिंजर दुर्ग की स्थापना का श्रेय चन्देल वंश के आदि-पुरुष चन्द्रवर्मन को देते हैं, परन्तु अभिलेखीय साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कालिंजर दुर्ग चन्देलों के पूर्व विद्यमान था<sup>40</sup> तथा सर्वप्रथम चन्देल शासक यशोवर्मन ने इस पर अधिपत्य स्थापित किया।<sup>41</sup> सत्ता संघर्ष के उस युग में धार्मिक महत्व के केन्द्र से राजनीतिक सत्ता का केन्द्र बने।<sup>42</sup> कालिंजर के पर्वतीय दुर्ग पर अधिपत्य को सामरिक दृष्टि से बड़ा ही प्रतिष्ठा पूर्ण माना गया। कालिंजर विजय के परिणामस्वरूप ही चन्देल राजवंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुयी तथा उसकी गणना एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में होने लगी।<sup>43</sup> कनिंघम ने दुर्ग को प्रथम शताब्दी में निर्मित माना है।<sup>44</sup> जबकि फरिश्ता का मत है कि यह दुर्ग सातवीं शताब्दी में किसी केदार नामक राजा का बनवाया हुआ है। टॉलमी इसे कंगोर का दुर्ग मानते हैं।<sup>45</sup> ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात छुट-पुट रचनाओं को छोड़कर इस दुर्ग में किसी बड़ी रचना या परिवर्तन के संकेत नहीं मिलते हैं। पहाड़ी ऊंचाई पर प्रस्तर खंडों से निर्मित विशाल प्राचीरयुक्त कालिंजर दुर्ग बुन्देलखण्ड के सर्वाधिक प्राचीन दुर्गों की तुलना में अभी तक सर्वाधिक सुरक्षित है।

पन्ना जनपद में स्थित अजयगढ़ दुर्ग चन्देलों का दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग है। अजयगढ़ दुर्ग केदार पर्वत नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। केन नदी से 13 किमी० दूर स्थित यह दुर्ग सामान्य धरातल से 273 मीटर ऊंचा है। अजयगढ़ दुर्ग को अजगढ़, नंदिपुर दुर्ग, जयदुर्ग, जयपुर दुर्ग इत्यादि नामों से भी जाना गया।<sup>46</sup> अजयगढ़ दुर्ग लम्बाई में 1.6 किमी० (उत्तर-दक्षिण) तथा चौड़ाई में इससे कुछ कम (पूर्व-पश्चिम) है कुछ विद्वान दुर्ग के निर्माण का श्रेय सूर्यवंशी अज को देते हैं तथा कुछ विद्वान अजमेर के अजयपाल चौहान नामक अज्ञात शासक को देते हैं। 4.8 किमी० परिधि वाले इस त्रिभुजाकार दुर्ग का भी निर्माणकाल चन्देल सत्ता के पूर्व निर्धारित किया जा सकता है।<sup>47</sup> कुतुबुद्दीन के कालिंजर अधिकार के पश्चात

अजयगढ़ दुर्ग का महत्व चन्देल शासन में बढ़ गया। अजयगढ़ दुर्ग का महत्व अकबर के काल तक अवश्य बना रहा क्योंकि आईन—ए—अकबरी में अजयगढ़ के पर्वतीय दुर्ग के विवरण प्राप्त होते हैं।<sup>48</sup> मडफा कालिंजर से 26 किमी० उत्तर पूर्व में स्थित चन्देलों का महत्वपूर्ण दुर्ग था।<sup>49</sup> प्राकृतिक प्रतिरक्षा से भी रक्षित इस दुर्ग के खण्डहर आज शेष हैं।<sup>50</sup> इस किले का उल्लेख किसी मुस्लिम इतिहासकार ने नहीं किया है, इस आधार कनिंघम का अनुमान है कि कालिंजर के पतन के पश्चात इसकी ख्याति हुयी।<sup>51</sup> जनश्रुति में इसे अधूरा किला माना जाता है। इस दुर्ग के निर्माता निस्संदेह चन्देल शासक थे, परन्तु दुर्ग के निर्माता का नाम प्राप्त नहीं होता।

महोबा का प्राचीन दुर्ग मदनसागर तालाब, के उत्तर में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। दुर्ग के ध्वंसावशेषों में केवल कुछ चन्देल शिल्प के स्तम्भ शेष हैं। दुर्ग 1625 फुट लम्बा और लगभग 600 फुट चौड़ा था।<sup>52</sup> इसके दो मुख्य दरवाजों में भैंसा दरवाजा पश्चिम तथा दरीबा दरवाजा पूर्व की ओर है। 80 फुट लम्बी तथा 25 फुट चौड़ी परिमार्दिदेव की बारादरी अब एक मस्जिद के रूप में यहां विद्यमान है।<sup>53</sup>

कालिंजर तथा अजयगढ़ के अतिरिक्त मनियागढ़ चन्देलों का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। मनियागढ़ दुर्ग छतरपुर जनपद में खजुराहो से 12 मील दूर स्थित है। दुर्ग 600 से 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है तथा चन्देलों की कुलदेवी मनियादेवी के नाम पर जाना जाता है। मनियागढ़ दुर्ग में चन्देल शासक धंग ने सर्वेश्वर मठ का निर्माण कराया था।<sup>54</sup> 1758—76 ई० में पन्ना नरेश हिन्दूपत ने इस दुर्ग को ठीक कराने का प्रयास किया तथा तालाबों के निकट छोटे महल का निर्माण कराया। अब इस दुर्ग में 7 मील लम्बी पत्थर की प्राचीर मात्र शेष है।<sup>55</sup>

बिलहरी कटनी से 10 मील पश्चिम में स्थित है तथा इसका प्राचीन नाम पुष्पावती था।<sup>56</sup> बिलहरी के दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया। किले के निर्माता का निश्चित निर्धारण करना कठिन है, परन्तु 150 वर्षों तक बिलहरी कलचुरियों का प्रसिद्ध स्थान रहा है। संवत् 1210 में चन्देलों ने बिलहरी कलचुरियों से छीन लिया तथा यहां शासन के लिये सूबेदार नियुक्त किया।<sup>57</sup> वर्तमान में दुर्ग के अवशेष ही बचे हैं, जिससे इसके काल का स्पष्ट निर्धारण करना कठिन है। यहां से पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुये हैं।

मदनपुर नगर एवं दुर्ग का निर्माण चन्देल शासक मदनवर्मन ने करवाया।<sup>58</sup> मदनपुर चन्देलकाल का बड़ा नगर था, अतः अच्छे शासन प्रबन्ध हेतु दुर्ग निर्माण मदनवर्मन ने करवाया। मदनपुर में एक बारादरी के अवशेष हैं, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की परमाल विजय का शिलालेख है।<sup>59</sup>

कालपी दुर्ग की सामरिक स्थिति सदैव महत्वपूर्ण रही है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कन्नौज के राजा वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था परन्तु स्थानीय जनश्रुतियों के

अनुसार इसका निर्माण किसी प्राचीन राजा कालिवदेव ने करवाया था।<sup>60</sup> दुर्ग चन्देल काल तक निर्मित हो चुका था। यमुना के खड़े कगार पर पुरानी दीवारों और खण्डित कक्ष ही अब शेष हैं।<sup>61</sup> देवगढ़ दुर्ग के निर्माता का नाम एवं वंश अज्ञात है। कीर्तिवर्मन चन्देल का वि०सं० 1154 का एक शिलालेख यहां से प्राप्त हुआ है, जिससे दुर्ग पर चन्देलों के अधिकार की पुष्टि होती है।<sup>62</sup> परन्तु सम्भवतः कालान्तर में दुर्ग चन्देलों के हाथ से निकल गया था, क्योंकि आल्हखण्ड में आल्हा को गोंड राजाओं को देवगढ़ से निकालने का श्रेय दिया गया है। संभव है कि देवगढ़ दुर्ग पर कुछ समय के लिये गोंडों का अधिपत्य रहा हो।<sup>63</sup>

सिरसागढ़ दुर्ग पहूज नदी के तट पर था। सिरसागढ़ चन्देलों का महत्वपूर्ण दुर्ग एवं नगर था पृथ्वीराज तृतीय ने चन्देलों के विरुद्ध अभियान में सर्वप्रथम सिरसागढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय मलखान यहां का शासक था। दुर्ग निर्माण सम्भवतः चन्देलकाल में हुआ था, जिसके ध्वंसावशेष भी बचे हैं। जबलपुर के समीप गढ़ा के दुर्ग को कुछ विद्वान चन्देल दुर्ग मानते हैं।<sup>64</sup> गढ़ा गोंड शासन के अधिकार में अधिकांश समय रहा है।<sup>65</sup> परन्तु अनेक तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़ा दुर्ग का निर्माण चन्देल काल में हो चुका था। निश्चित रूप से गोंड शासकों ने इस दुर्ग में अनेक परिवर्तन किये, जिसके कारण इसे गोंड दुर्ग स्वीकार किया जाने लगा। दसवें गोंड राजा मदनसिंह ने सन् 1100 में यहां विशिष्ट मदन महल का निर्माण करवाया।<sup>66</sup>

हटा दुर्ग अनेक शिखरों से युक्त है, जो उत्तर की ओर नुकीले होते चले गये हैं। दुर्ग युद्धक चहार दीवारी से ढका हुआ है।<sup>67</sup> दुर्ग के अन्दर एक राजप्रसाद के भग्नावशेष हैं। उल्लेखनीय है कि दुर्ग का निर्माण चन्देलों द्वारा करवाया गया। अधिकांश इतिहासकार इसे गोंडों द्वारा निर्मित मानते हैं। एक मन्तव्य में ग्यारहवीं सदी में गोंड शासक हरी सिंह द्वारा इसका निर्माण हुआ। निश्चित रूप से गोंड शासकों ने इस दुर्ग का पूर्ण रूप से कायाकल्प किया। 17वीं शताब्दी में बुन्देलों तथा बाद में मराठों द्वारा भी इस किले में निर्माण एवं विस्तार किये गये।<sup>68</sup>

रसिन कर्वी तथा कालिंजर के मध्य स्थित है। रसिन में चन्देलकाल की अनेक पुरानी इमारतें हैं। रसिन में चन्देलकाल का ईंटों तथा मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है।<sup>69</sup> दुर्ग के साथ-साथ उरई चन्देलकाल का प्रमुख नगर था, जिसके अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। उरई में दुर्ग निर्माण चन्देल शासकों द्वारा करवाया गया। उरई चन्देल कालीन राजा माहिल का केन्द्र था। दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि 10 मई 1858 को ह्यूरोज ने किला नष्ट कर दिया था।<sup>70</sup>

खजुराहो चन्देलों की सांस्कृतिक राजधानी था। चन्देल नरेशों द्वारा निर्मित पाषाण

मन्दिर स्थापत्य एवं सौंदर्य की दृष्टि से आज भी सर्वोत्कृष्ट हैं। खजुराहो में चन्देल शासकों ने महलों का निर्माण करवाया, जो शासन प्रबन्ध एवं निवास हेतु आवश्यक था।<sup>71</sup>

### मुस्लिम शासकों के दुर्ग

पूर्व मध्यकाल में बुन्देलखण्ड में मुस्लिम शासकों का योगदान नहीं के बराबर था। मुईजुद्दीन गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने विदेशी आक्रमणकारी की हैसियत से सर्वप्रथम कालिंजर पर घेरा डाला तथा 11 माह के घेरे के पश्चात चन्देल सत्ता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह एक मुस्लिम सत्ता का बुन्देलखण्ड में प्रथम मजबूत कदम था, परन्तु यह घटना पूर्वमध्य काल के अन्तिम चरण में घटी।<sup>72</sup> कुतुबुद्दीन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने बुन्देलखण्ड में दुर्ग निर्माण में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की। परिणामतः पूर्व मध्यकाल में बुन्देलखण्ड में कोई मुस्लिम निर्माण प्राप्त नहीं होता।

### अन्य शासक एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्मित दुर्ग

पूर्वमध्यकाल में दुर्ग निर्माण उल्लेखनीय योगदान क्षेत्रीय शासकों ने भी दिये। क्षेत्रीय सत्ताओं द्वारा निर्मित दुर्गों में गढ़कुंडार तथा सिंगोरगढ़ के प्रसिद्ध दुर्गों के अतिरिक्त स्योढ़ा (दतिया), आलीपुर, मरु सहानियां, ललितपुर तथा महौनी के प्रमुख दुर्ग निर्मित पूर्वमध्यकाल में निर्मित एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। टीकमगढ़ जिले में स्थित गढ़कुंडार दुर्ग के चन्देल कालीन सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। दुर्ग के निर्माता के सन्दर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। गढ़कुंडार दुर्ग का सम्बन्ध खंगारों तथा चन्देलकालीन "बौना चोर" से भी रहा। 13वीं शताब्दी में सोहनपाल बुन्देला ने गढ़कुंडार को खेतसिंह खंगार से छीन लिया तथा गढ़कुंडार सर्वप्रथम बुन्देला राजधानी बना।<sup>73</sup> वीरसिंह देव बुन्देला ने दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया था। काले ग्रेनाइट से निर्मित इस दुर्ग में एक पांच मंजिला भवन, कई तलघर तथा गुप्त मार्ग हैं। विशिष्ट शैली का यह बहुखण्डी दुर्ग सुरक्षित अवस्था में है।

पूर्व मध्यकाल में गढ़कुंडार के अतिरिक्त सिंगोरगढ़ दुर्ग एक अभेद्य दुर्ग था। दमोह जिले में स्थित सिंगोरगढ़ दुर्ग के निर्माण का श्रेय परिहार शासक गजसिंह परिहार को है,<sup>74</sup> यद्यपि कुछ विद्वान्सन दुर्ग के निर्माण का श्रेय चन्देल शासक बेलों को देते हैं।<sup>75</sup> सिंगोरगढ़ परिहार सत्ता के पश्चात गोंड दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पन्द्रहवीं शताब्दी में गोंड शासक दलपतशाह ने दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया। बुन्देलखण्ड-बघेलखण्ड सीमा पर स्थित गोंड सत्ता के तीन शक्ति प्रतीकों में से एक सिंगोरगढ़ दुर्ग में अब केवल प्राचीर और बुर्ज ही शेष हैं। आन्तरिक भाग में झाड़ियों में खण्डहर बिखरे हैं।<sup>76</sup>

गढ़कुंडार तथा सिंगोरगढ़ के अतिरिक्त पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय शासकों द्वारा निर्मित दुर्गों में स्योढ़ा, आलीपुर, मरु-सहानियां, ललितपुर तथा महौनी प्रमुख थे। दतिया जिले में

स्योढ़ा में चन्देल कालीन दुर्ग के पुराने खण्डहर प्राप्त होते हैं। महमूद गजनवी ने 1018 में दुर्ग पर अधिकार किया था। दुर्ग का निर्माता अज्ञात है, परन्तु निश्चित रूप से स्योढ़ा दुर्ग पर प्रारम्भिक अधिकार चन्देलों का रहा। 'कन्हरगढ़' के नाम से प्रसिद्ध स्योढ़ा दुर्ग मुगलों तथा बुन्देलों के अधीन रहा। दुर्ग का पुनरुद्धार 1810 ई० में राजा बखत सिंह ने कराया। सिन्ध नदी के किनारे स्थित कन्हरगढ़ दुर्ग में महल, रनिवास, दीवाने आम तथा गोविन्द सिंह (1907-56) द्वारा निर्मित कोठी प्राप्त होती है। इस काल के अदृश्य हो चुके दुर्गों में अलीपुर दुर्ग का नाम महत्वपूर्ण है। छतरपुर जनपद में स्थित आलीपुर परिहार शासकों का महत्वपूर्ण केन्द्र था। निस्संदेह पूर्वमध्यकाल में आलीपुर में दुर्ग अस्तित्व में था। अब यहां मात्र एक गढ़ी मौजूद है, जिसका निर्माण बाद का प्रतीत होता है। छतरपुर जनपद में ही स्थित मऊ-सहानिया छठीं शताब्दी में महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। परिहार शासकों ने चन्देलों के पूर्व इस अधिकार किया। सम्भव है कि मऊ-सहानियां के दुर्ग का निर्माण परिहार शासकों ने करवाया हो। प्रसिद्ध चन्देल शासक धंग ने मऊ-सहानियां दुर्ग में महादेव मठ का निर्माण करवाया। छत्रसाल बुन्देला ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मऊ-सहानियां दुर्ग में महल तथा रनिवास का निर्माण करवाया। आज दुर्ग की प्राचीर मात्र शेष है।<sup>78</sup>

ललितपुर जनपद के मुख्यालय ललितपुर में चन्देलकाल में दुर्ग विद्यमान था। जनश्रुति के अनुसार दक्षिण के किसी शासक सुमेर सिंह ने अपनी पत्नी ललिता के नाम पर नगर बसाया तथा दुर्ग एवं तालाब का निर्माण करवाया। फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित 'बन्सा' नामक छोटा निर्माण यहाँ प्राप्त होता है, जो चन्देल भवनों के अवशेषों से निर्मित किया गया था।<sup>79</sup> बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) में इस काल में महौनी दुर्ग प्रसिद्ध था। महौनी जालौन जिले में प्राचीन स्थल है। विद्वान महौनी दुर्ग की स्थापना का श्रेय वीरभद्र सिंह (1017-84 स्थापना काल) को देते हैं। वीरभद्र के उत्तराधिकारियों कर्णपाल (1087-1122), कन्नरशाह इत्यादि ने दुर्ग को दृढ़ता प्रदान की। 1231 ई० में सोहनपाल बुन्देला ने यह दुर्ग विजित कर इसे बुन्देला राज्य मिला लिया।<sup>80</sup>

### सन्दर्भ एवं टिप्पणी

1. सिंह, राजेन्द्र, " डायमेन्शन्स ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रोथ इन क्लास वन एण्ड क्लास टू टासन्स ऑफ बुन्देलखण्ड (यू०पी०)" नेशनल सेमीनार में प्रस्तुत शोध पत्र, अतर्रा, 1994, पेज-1
2. वही, पेज -1,2
3. सिंह, राजेन्द्र, " बुन्देलखण्ड: ए ट्रेडीशनल लैण्ड ऑफ फोर्ट काम्प्लेक्स", द डेकेन ज्योग्राफर, द डेकेन ज्योग्राफिकल सोसायटी, पुणे, 1994, अंक -2, पेज-1
4. लाहा, विमल चरन, ' हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आफ एनसिएण्ट इण्डिया', लखनऊ, 1972, पेज-83
5. वहीं पेज-83,216

6. सिंह, राजेन्द्र, " फोर्टस: द कोरीडोर ऑफ अरबन एनवायरनमेन्ट इन बुन्देलखण्ड (यू पी०)", अंतराष्ट्रीय सेमीनार में प्रस्तुत शोध पत्र, वाराणसी, 1990, पेज-2
7. महाभारत, हिन्दी अनुवाद-पं० रामनारायण दास शास्त्री, गीता प्रेस, गोरखपुर, सभा पर्व, 5/38
8. तिवारी, गोरेलाल, ' बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास' काशी नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी, 1933, पेज-2
9. राव, वी०डी०, गोखले, बी०के०, डिसूजा, ए० एल०, ' एनसियेन्ट हिस्ट्री एण्ड कल्चर', बम्बई, 1966, पेज-258
10. शास्त्री, नीलकण्ठ के०ए०, ' ए कम्प्रेहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ' खण्ड-2, वाराणसी, पेज-20
11. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-20
12. सिंह, राजेन्द्र, पूर्वोधृत, पेज-4
13. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-21
14. वहीं, पेज-27
15. वहीं, पेज-28,29
16. वहीं, पेज-27
17. जनपद गजेटियर झाँसी, 1965, पेज-331, टिप्पणी-प्रसिद्ध पुरातत्वविद ई० बी० हावेल ने अपनी पुस्तक, आर्यन रूल इन इण्डिया, ' लंदन, 1956 में जराय मठ को चन्देल कृति माना है, परन्तु यह चन्देल कृति नहीं है।
18. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-38
19. राय, बी०ए०, ' कालंजर : ए हिस्टोरिल एण्ड कल्चरल प्रोफाइल, 'इतिहास विभाग, पं० जे० एन० कॉलेज, बाँदा, 1992, पेज-17 (अंग्रेजी खण्ड)
20. सिंह, राजेन्द्र, " बुन्देलखण्ड : ए ट्रेडीशनल लैण्ड ऑफ फोर्ट काम्पलेक्स' द डेकेन ज्योग्राफर, वोल्यूम-32, नं०-2 पुणे, 1994, पेज-4
21. पाण्डेय, ए०पी०, ' चन्देलकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास' हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1968, पेज-215
22. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-59
23. मित्रा, एस० के०, ' द अर्ली रूलर्स ऑफ खजुराहो, ' कलकत्ता, 1958, पेज-6
24. रॉय, बी० एन०, पूर्वोधृत, पेज-17
25. महाभारत, पूर्वोधृत, वन पर्व , श्लोक-56,57
26. भागवत पुराण, श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1906, शष्ठ स्कन्ध, श्लोक-20,21
27. हरवंशपुराण, श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1906, पर्व-1 अध्याय-21, श्लोक-24-26
28. ब्रम्ह पुराण, क्षेमराज श्री कृष्णदास, बम्बई, 70 / 16-18
29. वायुपुराण, सम्पादक- राजेन्द्र लाल मित्रा, कलकत्ता, 1880, 23 / 204, श्लोक-  
तत्र: कालंजरोनाम तदा गिरिवरोत्तमें।  
तेन कालंजरोनाम भविष्यति सः पर्वतः।।
30. वामन पुराण, सम्पादक- हृशीकेश शास्त्री, गिरीश विद्या रत्न प्रेस, कलकत्ता, 76 / 14
31. पद्म पुराण, सम्पादक- विष्णु नारायण, पूना, 1893, भूमिखण्ड, 91 / 36 तथा महाभारत, पूर्वोधृत अनुशासन पर्व, 13-26-33
32. पद्म पुराण, पूर्वोधृत, 90 / 34
33. महाभारत, पूर्वोधृत, आरण्यक पर्व, 3 / 83 / 53  
ततः कालंजर गत्वा पर्वत लोकविश्रुतम्।

तत् देवहृते स्नात्वा गोसहस्रं फल लभेत ।।

34. सिंह, राजेन्द्र, "कनवरजन ऑफ तीर्था इन टू सेन्टर ऑफ पोलिटिकल एलीट – ए जियो कल्चरल स्टडी आफ कालिंजर" अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में प्रस्तुत शोधपत्र, मथुरा 1992 पेज-3,4
35. एपिग्राफिया इण्डिया, भाग-26, पेज-25
36. एपिग्राफिया इण्डिया, भाग-19, पेज-18
37. एपिग्राफिया इण्डिया, भाग-4, पेज-279
38. एपिग्राफिया इण्डिया, पूर्वोधृत, पेज-56, पाद टिप्पणी-4
39. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-32
40. कनिंघम, आर्क्योलोजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, पुनर्मुद्रित, 2000, भाग-21, पेज-22
41. एपिग्राफिया इण्डिया, भाग-4, पेज-126,128
42. सिंह राजेन्द्र, पूर्वोधृत, पेज-4
43. मित्रा, एस0 के0, पूर्वोधृत, पेज-37
44. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-40
45. रॉय, बी0 एन0, पूर्वोधृत, पेज-11
46. इण्डियन आर्क्योलोजी: ए रिल्यू, 1958-59, दिल्ली, पेज-93
47. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-66
48. आईन-ए-अकबरी, अनु0 एच0 एस0 जेरेट, खण्ड-2, कलकत्ता, 1949, पेज-116
49. जनपद गजेटियर बाँदा, लखनऊ, पूर्वोधृत, 1988, पेज-298
50. वही, पेज-299
51. पाण्डेय, ए0पी0, पूर्वोधृत, पेज-216
52. पाण्डेय, ए0पी0, पूर्वोधृत, पेज-217
53. जनपद गजेटियर हमीरपुर, भोपाल, 1982, पेज-275
54. जनपद गजेटियर छतरपुर, भोपाल, 1982, पेज-321
55. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-67
56. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-68
57. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-68
58. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-68
59. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-68
60. पाण्डेय, ए0पी0, पूर्वोधृत, पेज-217
61. जनपद गजेटियर जालौन, लखनऊ, पूर्वोधृत, 1989, पेज-292
62. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-70
63. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-70
64. पाण्डेय, ए0पी0, पूर्वोधृत, पेज-217
65. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोधृत, पेज-70
66. दुबे, दीनानाथ, पूर्वोधृत, पेज-302
67. पाण्डेय, ए0पी0, पूर्वोधृत, पेज-217
68. दुबे, दीनानाथ, पूर्वोधृत, पेज-146
69. जनपद गजेटियर बाँदा, लखनऊ, पूर्वोधृत, पेज-302
70. जनपद गजेटियर जालौन, लखनऊ, पूर्वोधृत, पेज-300
71. बोस, एन0 एस0, 'हिस्ट्री ऑफ चन्देलाज,' कलकत्ता, 1956, पेज-17
72. रिजवी, एस0ए0ए0, 'आदि तुर्ककालीन भारत' अलीगढ़, 1956, पेज-275
73. लुआर्ड, सी0ई0, 'ईस्टर्न स्टेट्स गजेटियर,' खण्ड-6ए लखनऊ, 1907, पेज-14
74. जनपद गजेटियर दमोह, भोपाल, 1998, पेज-300
75. कनिंघम, 'आर्क्योलोजिकल सर्वे रिपोर्ट्स,' खण्ड-9, पेज-50
76. जनपद गजेटियर दमोह, पूर्वोधृत, पेज-209
77. जनपद गजेटियर दतिया, भोपाल, 1977, पेज-307
78. जनपद गजेटियर छतरपुर, पूर्वोधृत, पेज-317,318
79. जनपद गजेटियर झाँसी, पूर्वोधृत, पेज-351
80. जनपद गजेटियर जालौन, पूर्वोधृत, पेज-299

## महात्मा गाँधी की दृष्टि में शिक्षक

—डॉ० राजेन्द्र बहादुर सिंह

प्रवक्ता,

शिक्षा संकाय

वी० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर

शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रायः हर शिक्षाशास्त्री अपना विचार रखता है। प्राचीन भारत में शिक्षक का सम्मान अधिक था। ऋषि—मुनि ही शिक्षक का कार्य करते थे। वे अपने कार्य के प्रति अधिक निष्ठावान् थे। अपनी विद्वता एवं आचरण दोनों से वे विद्यार्थियों को ही नहीं समाज को भी प्रभावित करते थे। आज का अध्यापक यद्यपि वेतन भोगी हैं पर उससे भी अधिक निष्ठा एवं कुशलता की अपेक्षा की जाती है। गाँधी जी ने भी शिक्षकों के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं। इस आलेख में उनके विचारों का विश्लेषण किया गया है।

गाँधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। वे शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और सत्य का आचरण करने वाल मानते थे। उनके दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श अध्यापक नहीं हो सकता। गाँधी जी ने शिक्षक को जो स्थान दिया है वह सामान्य विद्यालयों के शिक्षक से भिन्न है, सामान्य विद्यालयों में प्रायः शिक्षक की स्थिति शासक के रूप में होती है, जो बालकों को अपने व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करना चाहता है। उन्होंने बालकों की स्वतन्त्रता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का स्थान विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शक तथा सहायक के रूप में माना है। वे लिखते हैं — “अध्यापक कैसे हों इस सम्बन्ध में मैं इस पुराने विचार का मानने वाला हूँ कि उन्हें अध्ययन, अध्यापन कार्य के लिए अपने अनिवार्य प्रेम के कारण ही करना चाहिए और अपने इस कार्य से जीवन—निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही लेकर सन्तुष्ट रहना चाहिए। रोमन कैथोलिकों में यह विचार अभी तक बचा रहा है और वे दुनिया की कुछ सर्वोत्तम संस्थाएँ चला रहे हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने तो और भी ऊँचा आदर्श स्वीकार किया है। वे विद्यार्थियों को अपने परिवार में ही शामिल कर लेते थे। लेकिन जो शिक्षा वे उन दिनों दिया करते थे, वह सामान्य जनता के लिए नहीं थी। उन्होंने तो मनुष्य—जाति के सच्चे शिक्षकों की एक पूरी जाति का ही निर्माण कर दिया। सामान्य जनता को उसकी तालीम घरों में और अपने परम्परागत उद्योग—धन्धों में मिलती थी।”<sup>1</sup>

गाँधी जी मानते हैं कि संस्कार—परिष्कार या मान्यता परिवर्तन जब होगा तब प्रेम से ही होगा। इसलिए सफल शिक्षक बालक के अन्तर्निहित गुण विकास के लिए सहानुभूति और

सद्भाव, प्रेम और विश्वास का ही सहारा लेगा। वे कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यह ध्यान रखना होगा कि जहाँ दण्ड असफल होता है वहाँ दुलार एवं पुचकारना ही सफल होता है, जो शिक्षक विद्यार्थियों पर जबरदस्ती करता है, वह शिक्षक नहीं है। जो बुद्धि स्वातन्त्र्य दे वही सच्चा शिक्षक है। गाँधी जी लिखते हैं – “शिक्षक विद्यार्थियों को विविध वस्तुओं में भेद जानने की शिक्षा दे। यदि हम बिना भेद समझाये शिक्षा देते चलें तो हमारी स्थिति मशीनों से अच्छी नहीं होगी हम चिन्तन करने वाले ज्ञानवान प्राणी हैं, हमें इस समय सत्य से असत्य को मधुरभाषा से कटुभाषा को और स्वच्छ वस्तु से अस्वच्छ वस्तु को पृथक करने और उनमें भेद करने की समझ आनी आवश्यक है।”<sup>2</sup>

गाँधी जी शिक्षक में उन सभी गुण होना आवश्यक मानते हैं जिन्हें वह विद्यार्थियों में लाना चाहते हैं। जब तक शिक्षा में दी जाने वाली बातें शिक्षक के आचरण में नहीं आयेंगी विद्यार्थियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षक का विद्यार्थियों से ऐसा सम्पर्क रहना आवश्यक है कि विद्यार्थी शिक्षक के आचरण से मूलभूत गुणों का प्रशिक्षण ले सकें। उन का कथन है – “मैंने यह पाया है कि बालक शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन से बहुत सीखते हैं, वे इतना उन पुस्तकों से जो उन्हें पढ़ायी जाती है, या उन व्याख्यानों से जो शिक्षक अपने मुँह से उन्हें देता है, नहीं सीख पाते। मुझे यह खोज करने पर प्रसन्नता हुई कि लड़के और लड़कियाँ बिना जाने ही एक अन्तर्बोध विभाग अपने मस्तिष्क में रखते हैं जिससे वे अपने शिक्षकों के विचारों का अध्ययन कर लेते हैं। उस शिक्षक के प्रति मुझे दुःख होता है जो वाणी कुछ कहता है और मन में कुछ रखता है।”<sup>3</sup>

गाँधी जी ने अपने जीवन एवं शिक्षण से आम जनता को राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजनैतिक आन्दोलन के साथ-साथ खादी ग्रामोद्योगों के माध्यम से ग्रामीण जीवन के पुनरुत्थान एवं पुनर्निर्माण का रचनात्मक आन्दोलन भी चलाया। गाँधी जी भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने भारत की संस्कृति को आत्मसात कर लिया था तथा देश के सामाजिक प्रश्नों की ओर आध्यात्मिक दृष्टि अपनाकर आम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। गाँधी जी के आन्दोलन में अनेक नवयुवक एवं नवयुवतियों ने अपने कालेज और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई छोड़कर भाग लिया। उनका राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक आजादी का आन्दोलन सत्य तथा अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने सर्वधर्म समभाव के लिए कार्य किया तथा सभी धर्मों के सामान्य सिद्धान्तों की एकता दर्शाकर उच्चतर मूल्यों का प्रतिपादन किया।

गाँधी जी ने हर अच्छे शिक्षक की तरह जो कहा वह करके दिखाया उन्होंने दक्षिण भारत के गरीब किसानों जैसी पोशाक पहनी। उनकी पोशाक सादगी का नमूना थी। उन्होंने

हर तरह से अपने आप को आम गरीब जनता के साथ एकाकार कर दिया था। जैसा की नई तालीम के शिल्पकार में लिखा है – “नई तालीम के शिक्षक के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। जिन्दगी के लिए जरूरी जीवन के उपयोगी हर एक काम को ज्ञान के प्रकाश से प्रदीप्त प्रेम से सरस बनाकर उसे बच्चों के सर्वांगीण विकास का साधन बनाना है। उसे अपने जीवन में इस तरह गहरा उतारना है कि दूसरों के विकास के साधन के रूप में सिखा सकें, उसके जरिये शिक्षा में मानव समाज में – अहिंसक क्रांति पैदा कर सकें। ..... इसलिए नई तालीम के ट्रेनिंग स्कूल में अगर ऐसे शिक्षक तैयार करने हैं, जिनके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हुआ हो, तो हमें संगीत, कला, साहित्य सिखाने का प्रबन्ध करना चाहिए। इनके अभ्यास के लिए और उत्सव, त्यौहार अभिनय आदि आनन्द-विधान की प्रवृत्तियों को मनाने के लिए समय भी देना चाहिए।<sup>4</sup>

गाँधी जी मूलतः स्वशिक्षक थे। यह बात शिक्षण के इतिहास में सभी महान शिक्षकों के बारे में कही जा सकती है। टैगोर का कथन है, “सिर्फ वही दीपक दूसरे दीपक का प्रज्वलित कर सकता है जो स्वयं प्रदीप्त हो। सच्चा शिक्षक वही हो सकता है, जो स्वयं स्वशिक्षण के माध्यम से विकसित हो रहा हो।” गाँधी जी अपने जीवन भर एक विद्यार्थी और शिक्षक साथ-साथ बने रहे। दुनिया के विभिन्न धर्मों के अध्ययन के साथ उन्होंने अपना शिक्षण आरम्भ किया। अपने धर्म के अध्ययन से उनकी अध्ययन यात्रा का आरम्भ हुआ।<sup>5</sup>

गाँधी जी आत्मकथा में लिखते हैं – “टालस्टाय आश्रम में लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा का कुछ प्रबन्ध करना आवश्यक था। मेरे साथ हिन्दू, मुसलमान, पारसी और इसाई नवयुवक थे, और थोड़ी हिन्दू लड़कियाँ भी थीं। खास शिक्षक रखना आवश्यक था और मुझे अनावश्यक भी लगता था। आवश्यक इसलिए था कि हिन्दूस्तानी शिक्षकों का तोड़ा था और कोई मिलता भी तो मोटी तनख्वाह के बिना डरबन से 21 मील दूर कौन आता। मेरे पास पैसों की बहुतायत न थी। बाहर से शिक्षक बुलाना मुझे भी अनावश्यक जान पड़ा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति मुझे पसंद न थी। ठीक पद्धति का अनुभव करके तो मैंने नहीं देखा था। इतना समझता था कि आदर्श स्थिति में सच्ची शिक्षा तो माँ-बाप के हाथों के नीचे ही हो सकती है। उस स्थिति में बाहरी मदद कम से कम होनी चाहिए। मैंने सोचा कि टालस्टाय आश्रम एक कुटुम्ब है उसमें मैं पिता रूप हूँ। इसलिए मुझे यथाशक्ति इन नवयुवकों के निर्माण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।<sup>6</sup>

गाँधी जी का मत है कि एक अध्यापक आदर्श अध्यापक तभी हो सकता है जब वह इस कार्य को सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। उसे बच्चों के पिता, मित्र, सहयोगी और पथ-प्रदर्शक अनेक रूपों में कार्य करना होता है। इसलिए उसे उदार, धैर्यवान एवं सहिष्णु

होना चाहिए। गाँधी जी लिखते हैं – “मैंने हृदय की शिक्षा को अर्थात् चरित्र के विकास को सदा प्रथम पद दिया है और उसका परिचय चाहे जिस उम्र में और जितने प्रकार के वातावरण में पले हुए लड़के और लड़कियों को अल्पाधिक परिमाण में कराया जा सकता है। यह सोचकर इन लड़कों और लड़कियों के साथ में रात-दिन पिता रूप में रहता था। चरित्र को मैंने उनकी शिक्षा का आधार रूप माना था। नींव अच्छी हो तो और बातें लड़के अवकाश मिलने पर दूसरों की सहायता लेकर या अपने आप ही सीख ले सकते हैं।”<sup>7</sup>

गाँधी जी के बुनियादी शिक्षा पद्धति में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार उसे सभी विषयों की शिक्षा किसी आधार भूत शिल्प के माध्यम से देनी चाहिये। इस शिल्प का चयन – विशिष्ट विद्यालय की स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अतः बुनियादी विद्यालयों में सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो विद्यालयों से सम्बन्धित क्षेत्रों के निवासी होते हैं। शिक्षण कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। गाँधी जी वेतन तथा अध्यापन कार्य को एकदूसरे के साथ मिलाना उचित नहीं समझते शिक्षक वेतन के लिए कार्य नहीं करता। यदि वह वेतन के साथ काम को जोड़ दें, तो अध्यापन कार्य में समर्पण चाहिए। गाँधी जी लिखते हैं – “अध्यापक का काम कक्षा की अपेक्षा कक्षा के बाहर अधिक है। इस मजदूरी वाली जिन्दगी में जहाँ वेतन के लिए अध्यापक कार्य करते हैं, उसके पास कक्षा के बाहर अपना सब समय छात्रों को नहीं दिया जाता, तब तक बहुत कुछ नहीं हो सकता। उनके मतिष्क का निर्माण करने की अपेक्षा, उनका हृदय-निर्माण करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। अपने शब्दकोश से निराशा एवं कुंठा- जनक शब्द निकल जाने चाहिए।”<sup>8</sup> गाँधी जी का विचार है यदि आपकी श्रद्धा अपने शिक्षक में नहीं तो आप उससे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते।<sup>9</sup>

गाँधी जी ने बालक को तो केन्द्र में रखा, मगर माण्टेसरी पद्धति या डाल्टन योजन की तरह शिक्षक को गौण स्थान नहीं दिया। उन्होंने शिक्षण की प्रेरणात्मक प्रणालियों की सिफारिश की है और शिक्षक को गौरवपूर्ण और जिम्मेदारी का पद दिया है। उन्होंने शिक्षण की प्रेरणात्मक प्रणालियों की सिफारिश की है और शिक्षक को गौरवपूर्ण और जिम्मेदारी का पद दिया है। उन्होंने प्रेरणात्मक पद्धतियों पर जोर दिया, मगर उनका आधार जबानी उपदेश नहीं, बल्कि शिक्षक का अनुकरणीय रहन-सहन है। उनके आदर्शवादी लक्ष्यों ने अध्यापक का पद तो ऊँचा किया, परन्तु उनके लोकतान्त्रिक विचारों ने अध्यापक को अधिकारियों के जैसा मनमाना बर्ताव करने से मना किया है। वे चाहते थे कि शिक्षक शिक्षार्थी के लिए प्रेरणात्मक मित्र, सलाहकार और पथ प्रदर्शक बने। आदर्शवादी होने के कारण उन्होंने शिक्षक और

शिक्षार्थी के बीच एक सजीव बन्धन को प्रोत्साहित किया। गाँधी जी लिखते हैं – “जिस अध्यापक के लिए मेरे मन में सम्मान न हो उसके विद्यालय में पढ़ने न जाने की बात तो मेरी समझ में आती है, परन्तु अपने अध्यापक के प्रति अनादर तथा अपमान का भाव समझ में नहीं आता। इस प्रकार का आचरण अशिष्टता है और अशिष्टता हिंसा है।”<sup>10</sup>

गाँधी जी ने शिक्षक को प्रमुखता दी और यह माना कि जो अध्यापक जीवन, चरित्र, सूझ और प्रेम से परिपूर्ण है वह शिक्षार्थी के जीवन और शिक्षण को वांछनीय मोड़ दे सकता है। वे यह नहीं मानते थे कि सिर्फ कीमती साधन-सामग्री और इमारतों से ही शिक्षा का पोषक वायुमण्डल पैदा होता है। उन्होंने शिक्षक के चरित्र पर, जिससे कि शिक्षा का वातावरण पैदा होता है, खास जोर दिया। इस प्रकार की उनकी योजना में अध्यापक को बालक के साथ-साथ शानदार और ऊँचा दर्जा दिया जाता है। वे छात्र एवं अध्यापक के सम्बन्ध को अभौतिक तथा आत्मिक सम्बन्ध मानते हैं। उनकी राय में सजीव सम्पर्क में रहकर बालक पुस्तकों की अपेक्षा उनके जीवन से अधिक सीखता है। गाँधी जी लिखते हैं – “मुझे लगा कि लड़के पुस्तकों एवं व्याख्यानों की अपेक्षा अध्यापकों के जीवन से अधिक सीखते हैं। उस अध्यापक को धिक्कार है जो मुख से एक बात कहता है तथा जीवन से भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है।”<sup>11</sup> आचार्य तथ अध्यापक गण पुस्तकों के पृष्ठों से चरित्र नहीं सिखा सकते। चरित्र निर्माण तो उनके जीवन से सीखा जाता है।<sup>12</sup>

गाँधी जी कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी में निरन्तर एक गहन सम्पर्क बना रहना आवश्यक है। वास्तव में शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों के मस्तिष्क को प्रभावित करने की अपेक्षा उनके हृदय को प्रभावित करे। इसका यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि शिक्षक विद्यार्थियों से अन्धाधुन्ध आज्ञा पालन कराये। छात्रों पर किसी प्रकार का दबाव हानिकर है। उन्हें तो पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। गाँधी जी लिखते हैं – “शरीर की शिक्षा शरीर की कसरत से दी जा सकती है दी जानी चाहिए। बुद्धि की बुद्धि की कसरत से वैसे ही आत्मा की आत्मा की कसरत से। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण से ही मिल सकती है। अतः युवकों की उपस्थिति हो या न हो शिक्षक को सावधान रहना ही चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक अपने आचरण से अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं झूठ बोलता रहूँ और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने की कोशिश करूँ तो वह बेकार जाएगी। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। व्याभिचारी शिक्षक शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकता है? मैंने देखा कि मुझे अपने साथ रहने वाले लड़के और लड़कियों के सामने पदार्थ पाठ रूप होकर रहना चाहिए। इससे मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बन गये।”<sup>13</sup>

गाँधी जी कहते हैं मैं ऐसे अवसरों को मानता हूँ जहाँ बिना तर्क और प्रतीक्षा के विद्यार्थियों को आज्ञापालन करना आवश्यक है ऐसा उन्हें कर देना चाहिए जैसा कि व्यवस्थित समाज में हुआ करता है। सबसे बुरी बात विद्यार्थियों के साथ यह घटती है कि विद्यार्थियों को स्कूल में शिक्षक की सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। इसके विरुद्ध यदि लड़कों एवं लड़कियों की तर्क शक्ति को अपनी देख-रेख में प्रेरित करना चाहे जिनसे उनका सुधार हो, वे निरन्तर अपने तर्कों का ऐसा बोझ डालते हैं कि वे स्वयं चिन्तन में फँस जाते हैं। राष्ट्रीय स्कूलों के शिक्षकों को मेरी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने दी है और वे अपने विद्यार्थियों को रोकें कि वे किसी की कही बात को आलस्यवश बिना करके, बिना देखे एवं बिना परखे ही स्वीकार न करें। चाहे कहने वाला व्यक्ति कितना ही महान और प्रसिद्ध क्यों न हो। गाँधी जी इस बात को बुरा नहीं समझते हैं कि विद्यार्थी शिक्षक की अनैतिक आज्ञाओं को विरोध करते हैं। बालकों को अपना मत व्यक्त करने और बोलने की पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी आवश्यक है। शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष अपना मत रखें परन्तु अपनी बात उन पर बिल्कुल न लादें। यही उनका कर्तव्य है। गाँधी जी लिखते हैं – “मेरी समझ में विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही होता है। शिक्षकों ने पाठ्य पुस्तकों में से जो सिखया था उसमें से थोड़ा ही मुझे याद है। जिन्होंने जबानी सिखाया था उसकी याद आज भी बनी है। बालक आँख से जितना ग्रहण करता है उसकी अपेक्षा कान से सुना हुआ थोड़े परिश्रम से और बहुत ज्यादा ग्रहण कर सकता है। मुझे याद नहीं कि बालकों से मैंने एक किताब भी पूरी पढ़वाई हो।”<sup>14</sup>

गाँधी जी का मत है कि शिक्षक को यह पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वह किस प्रकार शिक्षण प्रभावशाली बना सकता है। उसे चरित्रवान, क्षमाशील, मृदुभाषी, मिलनसार, कर्तव्यपरायण, विनोदप्रिय, स्फूर्तिवान, श्रमी, संयमी आदि गुणों से सुशोभित होना चाहिए। शिक्षक को बालकों की चिन्ताओं, विचारों और आकांक्षाओं के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए बल्कि सदैव उसका ध्यान रखना चाहिए। जो बातें बालक शिक्षक से पूछे उनकी किसी भी प्रकार से अनसुनी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बालकों की ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा होती है उसका दमन होता है। उसे बालकों की भावुकता, जिज्ञासा, लज्जाशीलता, आवश्यकताओं, अभिरुचियों आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार नम्र व्यवहार करे, उसे अधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाये। शिक्षक को बालकों का विश्वास पात्र होना चाहिए। उसे सदैव मैत्री पूर्ण ढंग से बालकों के मनोभावों के प्रति क्रियाशील रहना चाहिए। शिक्षकों को सदैव बालकों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए तथा उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता देना चाहिए। एन. आर. रंगा का कथन है – “जो कार्य शिक्षक कर सकता है वह है

प्रकाश स्तम्भ, संकेत बोर्ड, संदर्भ पुस्तक, शब्द कोश द्रावक और शिक्षा की जटिल प्रक्रिया को गति देने का कार्य।”

### सन्दर्भ

1. मो. क. गाँधी, यंगइण्डिया, 6 अगस्त, 1925
2. मो. क. गाँधी, यंगइण्डिया, 29 जनवरी, 1925
3. महादेव देसाई, विद गाँधी जी इन सीलोन, पृ. 109
4. कनक मल गाँधी, नई तालीम के शिल्पकार, आशा देवी – आर्य नायकम् (स्मृति ग्रन्थ) नई तालीम समिति सेवा ग्राम जिला वर्धा महाराष्ट्र, 2004, पृ. 41
5. वही, पृ. 31
6. मो. क. गाँधी, आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, पृ. 314
7. वही, पृ. 314
8. मो. क. गाँधी, टू द स्टूडेण्ट्स, पृ. 31
9. सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय खण्ड (26), पृ. 211
10. मो. क. गाँधी, टू द स्टूडेण्ट्स, 5, पृ. 118
11. वही, पृ. 235
12. वही, पृ. 231
13. मो. क. गाँधी, आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, पृ. 319
14. वही, पृ. 317

## महिला सशक्तिकरण के आधार तत्व—स्वास्थ्य एवं पोषण

—श्रीमती मंजू भारती

वरिष्ठ प्रवक्ता

ए०एन०डी० कालेज, कानपुर

महिला परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की, अतएव महिला ही समाज व राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है। चूँकि किसी भी परिवार की धुरी महिला होती है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति का सीधा प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। यदि घर की महिला स्वस्थ एवं पोषित है तो उसके बच्चे भी स्वस्थ होंगे और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक स्वस्थ महिला ही अपने सशक्तिकरण के प्रयासों को मूर्तरूप दे सकती है और सामाजिक—आर्थिक—शारीरिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार की देखभाल व पोषण, उसके व अपनी जरूरतों की पूर्ति अच्छे ढंग से कर सकती है। हालांकि अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए एक आवश्यक जरूरत है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल शारीरिक व मानसिक रूप से वरन् सामाजिक रूप से भी स्वयं को अच्छा महसूस करता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होता है। फिर भी महिला स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं पर मां, पत्नी, बहन व बेटी के रूप में जीवन में अनेक जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व होता है। स्वस्थ एवं पोषित महिला स्वस्थ संतान को जन्म देकर स्वस्थ व खुशहाल भावी पीढ़ी का निर्माण करती है। स्वस्थ एवं पोषित महिला परिवार व राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का उचित तरीके से निष्पादन कर समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी यह आवश्यक है कि इसके सदस्य स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक हो तथा विभिन्न क्रियाविधियों में उनकी सहभागिता को। व्यक्ति में जागरूकता का विकास सम्प्रेषण के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में — स्वास्थ्य समस्याओं की विधिवत जानकारी और उनके नियन्त्रण एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता; नियमित साफ—सफाई, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण, परिवार नियोजन सहित; प्रमुख संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षण की व्यवस्था; स्थानीय भयावह रोगों के नियन्त्रण एवं रोकथाम की व्यवस्था; सामान्य रोगों और अघात के लिए उचित उपचार का प्रबन्ध आवश्यक औषधियों का प्रबन्ध आदि स्वास्थ्य सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की आधार हैं। डेनियल लर्नर (1958)<sup>1</sup> का मानना है कि संचार के वृहद साधनों जन—जीवन को जागरूक बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा व्यक्ति उन परिस्थितियों और जीवन शैली के बारे में

ज्ञान प्राप्त करता है जो उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जाने वाली जीवन शैली और परिस्थिति से भिन्न होती है, यह स्थिति उसे परिवर्तन की नवीन दिशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति महिलाओं में जन-सम्प्रेषण सूचनाएँ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक कर रही हैं। पार्क (2002) के अनुसार स्वास्थ्य सम्प्रेषण की विधियों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है – वैयक्तिक स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क, इत्यादि द्वारा, सामूहिक स्तर पर भाषण, संगोष्ठी, इत्यादि द्वारा, तथा जन स्तर पर जन संचार के माध्यमों द्वारा स्वास्थ्य सम्प्रेषण की प्रक्रिया की जा सकती है। जन संचार के माध्यम यद्यपि 'एक-पक्षीय' सम्प्रेषण के माध्यम है फिर भी ये माध्यम प्रभावशाली ढंग से दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों तक सूचना सम्प्रेषण करने में उपयोगी हैं। स्वास्थ्य, रोग एवं रोग उपचार इत्यादि से सम्बन्धित सेवाओं पर अनेक सूचनाएँ प्रकाशित होती हैं एवं टी.वी. पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। यथा – योग, ए.आई.वी. की निःशुल्क जाँच सेवा, खाना खाने से पहले हाथ साबुन से धोने सम्बन्धी सुझाव, टीकाकरण, नसबन्दी शिविर, पोलियो ड्राप की निःशुल्क सेवाएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी घरेलू नूस्खे, ड्रग्स उन्मूलन, परिवार नियोजन इत्यादि से सम्बन्धित सेवाओं के प्रति सूचनाएँ। जो न केवल व्यक्ति को सूचना देने का कार्य करते हैं अपितु स्वास्थ्य, रोग एवं उपचार सम्बन्धी उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं और उसमें आधुनिक दृष्टि का विकास करते हैं।

वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था में भी नित नवीन परिवर्तन हो रहे हैं जिनके प्रति जागरूकता नितान्त आवश्यक है। प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तक का इतिहास सामाजिक परिस्थितियों, आदतों एवं जीवन शैली से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। 19वीं शताब्दी में रोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम के विश्लेषण में अत्यन्त रुचि उत्पन्न हुई। इसका एक प्रमुख कारण औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याएँ रही हैं। यह काल सामाजिक चिकित्सा के विकास का एक प्रमुख काल रहा है जिसका नेतृत्व फ्रांस में विलर्मी और जर्मनी में विर्चो ने किया। विर्चो और अन्य विचारकों ने चिकित्सा विज्ञान को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप में एक सामाजिक विज्ञान माना है। इन विचारकों ने न केवल स्वास्थ्य और रोग पर सामाजिक और धार्मिक दशाओं के प्रभाव विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया है अपितु इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि समाज का यह उत्तरदायित्व है कि वह रोग और व्याधियों की रोकथाम करके व्यक्ति को स्वस्थ बनाये रखने में अपना योगदान दे। चिकित्सा विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, पोषण एवं रोग से सम्बन्धित दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ है स्वास्थ्य, पोषण एवं रोग से सम्बन्धित समस्याओं के जैविकीय पक्ष के साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष को भी महत्व प्रदान किया जाने लगा है। समय-समय पर होने

वाले विभिन्न अध्ययनों में इस प्रकार के निष्कर्ष आये हैं कि रोग के सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष को समझे बिना उसका उचित उपचार सम्भव नहीं है। अतः आवश्यक है कि इनसे जन-जीवन को भी अवगत कराकर इनके प्रति जागरूकता लायी जाये और यह कार्य संचार माध्यमों द्वारा ही सम्भव है।

स्वास्थ्य को आधारभूत मानव अधिकार की संज्ञा प्रदान की गयी है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का यह दायित्व है कि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करें। आधुनिक राज्य स्वास्थ्य संरक्षण के दायित्व को जिन विविध तरीकों से निर्वाह कर रहा है उनमें से एक प्रमुख प्रविधि प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य की दशाओं को उन्नत बनाना है। भारत में यह कार्य अत्यन्त व्यापक रूप से किया जा रहा है। रोग तथा स्वास्थ्य में जहाँ शारीरिक विशेषता महत्वपूर्ण है वहीं उसमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक वास्तविकता भी अन्तर्निहित है। रोग की उत्पत्ति कि प्रक्रिया यद्यपि प्राकृतिक एवं शारीरिक हो सकती है किन्तु उसके प्रसार अथवा फैलाव में एवं व्यक्ति की रोगग्रस्तता की स्थिति में उसके आस-पास का सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण निश्चित रूप से जुड़ा होता है। इसलिए रोग-ग्रस्तता जहाँ एक ओर शारीरिक कमजोरी, काम करने की क्षमता में क्षीणता, शारीरिक पीड़ा और कष्ट को तो जन्म देती ही है पर उसके साथ ही यह व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार एवं उसकी भूमिका पूर्ति को भी प्रभावित करती है जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक एवं संस्थागत हितों को क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचने की सम्भावना रहती है। रोग और स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यक्ति के जन्म से ही जुड़ जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसे देखने का प्रयास करें तो हमें ज्ञात होगा कि सम्भवतः धरती पर मनुष्य का प्रथम अवतरण हुआ तब से लेकर अब तक की उद्विकासीय अवस्था के विभिन्न काल से लेकर वर्तमान समय तक रोग एवं स्वास्थ्य मनुष्य के साथी रहे हैं। धीरे-धीरे स्वास्थ्य संरक्षण के परम्परागत एवं परिवर्तनशील परिदृश्य ने रोग एवं स्वास्थ्य की पहचान तथा रोग उपचार के उपक्रम ढूँढने की क्षमता उत्पन्न की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गयी स्वास्थ्य की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि 'स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था है, यह केवल रोगों की अनुपस्थिति मात्र से सम्बन्धित नहीं है'। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों आयामों पर स्वस्थ होना अति आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस परिभाषा में यह मान लिया गया है कि स्वास्थ्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। साथ ही, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष को स्वास्थ्य का अंग माना गया है। स्वास्थ्य की अवधारणा एक स्थिर अवधारणा न होकर एक गतिशील अवधारणा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य को रूग्णता का

अभाव न मानकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास माना गया है, जिसमें व्यक्ति अपने जैविकीय, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समताओं में पूर्ण संतुलन स्थापित करता है। व्यक्ति की स्वास्थ्य दशा किसी एक कारक का परिणाम नहीं अपितु विभिन्न कारकों के परस्पर अन्तःक्रिया की देन है।

अतएव एक ऐसी स्वस्थ दशा जिससे शरीर और मस्तिष्क के समस्त कार्य सामान्य रूप से सक्रियता पूर्ण सम्पन्न होते हैं स्वास्थ्य कहलाता है। शरीर और मस्तिष्क की सामान्य एवं प्राकृतिक स्थिति स्वास्थ्य का सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य की अनुपस्थिति का नाम ही रोग है। स्वास्थ्य एवं पोषण एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं। पोषण में ही स्वास्थ्य का रहस्य निहित है। 'पोषण' एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन केन्द्र बिन्दु है। पोषण की सबसे सरल परिभाषा है— मुख में प्रवेश करने के बाद भोजन पर किया गया अध्ययन। पोषण की औपचारिक परिभाषा इस प्रकार है—ऐसी प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें जीव अपनी वृद्धि, विकास व शरीर को बनाये रखने के लिये भोजन ग्रहण कर, उसे सही ढंग से उपयोग में लाते हैं। सभी भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन में उपस्थित ये आवश्यक तत्व ही 'पोषक तत्व' कहलाते हैं। ये पोषक तत्व, शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं जैसे कि वृद्धि में, अंगों के संरक्षण में, रोग के प्रति संरक्षण में। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसके द्वारा प्रयुक्त भोजन के प्रकार व मात्रा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के वृद्धि व विकास के लिये तथा स्वस्थ जीवन के लिये अच्छा पोषण अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं करता तो शरीर का सामान्य विकास नहीं होता। शरीर के कुछ अवयव में कुछ बीमारी की भी आशंका रहती है। कुपोषण से मानसिक व सामाजिक दोनों ही विकास पर प्रभाव पड़ता है। सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अतिआवश्यक पूर्वप्रेक्षित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिये सभी पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता होती है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। इसके अन्तर्गत भोजन के पचने, रक्त में घुलने, विभिन्न अंगों में पहुँचने एवं शरीर द्वारा उनके प्रयोग की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। भोजन हमारे शरीर को पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में निहित पोषक तत्वों द्वारा शरीर को पोषण मिलता है। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर को पोषण देने के लिये उत्तरदायी हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं— वृहद पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छे स्वास्थ्य के लिये वृहद और सूक्ष्म दोनों ही पोषक तत्व आवश्यक हैं। शरीर के लिये दोनों का ही महत्वपूर्ण कार्य है।

वृहद पोषक तत्व – कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, प्रोटीन, वसा एवं तेल वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो

कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। 1 ग्राम शर्करा से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा व तेल हमारे भोजन में ऊर्जा के केन्द्रभूत स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा छोटी-छोटी इकाइयों जिन्हें फैटी एसिड कहते हैं, से मिलकर बनता है। वसा की प्रकृति उसमें उपस्थित फैटी एसिड पर निर्भर करती है। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं— संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त (सैचुरेटेड) वसीय अम्ल (फैटी एसिड) ठोस वसा में पाये जाते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल तेल में अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्त्व — ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्त्व जो भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं पर शरीर के लिये आवश्यक हैं, सूक्ष्म पोषक तत्त्व कहलाते हैं। 'विटामिन', 'खनिज' एवं 'पानी' सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की श्रेणी में आते हैं। यदि ये सूक्ष्म पोषक तत्त्व उचित मात्रा में नहीं खाये जायें, तो कुछ रोग होने की संभावना हो जाती है।

विटामिन — हमारे शरीर में विटामिन अति अल्पमात्रा में रहते हैं पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के सभी मुख्य कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन 'ए' नेत्रों के उचित रूप से कार्य करने — जिगर, अंडा, मछली का तेल के लिये अत्यावश्यक है। विटामिन 'बी' दाँत और हड्डियों को मजबूत बनाने में अत्यावश्यक है। विटामिन 'ई' ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्त्वों को नष्ट होने से बचाता है। विटामिन 'के' चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। विटामिन 'बी कॉम्प्लेक्स' 18 विटामिनों का मिश्रण है। शरीर के अंगों को सुचारु रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। भूख बढ़ाने व भोजन के पाचन में मदद करते हैं। विटामिन 'सी' रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता में मदद करता है।

खनिज लवण (मिनरल्स) — संपूर्ण शारीरिक तन्तुओं में खनिज बहुत ही अल्पमात्रा में होते हैं परंतु ये शरीर को बनाये रखने और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं के लिये अति आवश्यक हैं। कुल 19 खनिज लवण ऐसे हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिये विभिन्न मात्राओं में आवश्यक होते हैं। इनमें कैल्शियम, लौह तत्त्व एवं आयोडीन प्रमुख हैं। कैल्शियम—कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियों, रागी, तेल, दालें और बीजों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। अन्य भोज्य पदार्थ भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रदान करते हैं। लौह तत्त्व (आयरन) — शरीर को लौह तत्त्व बहुत ही अल्पमात्रा में चाहिये। यह हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग है। हीमोग्लोबिन रक्त की लाल कोशिकाओं में रहता है तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। साबुत अनाज व दालें हमारे शरीर को लौह तत्त्व प्रदान करती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे के पीले भाग से, जिगर और माँस

से भी लौह तत्त्व प्राप्त होता है। हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, विशेषकर महिलाएँ एवम् बच्चे, लौह तत्त्व की कमी से होने वाली बीमारी 'एनीमिया' से ग्रस्त हैं। आयोडीन — थायराइड ग्रन्थि से उत्पन्न होने वाले थाइरॉक्सिन नामक हारमोन के लिये आयोडीन एक आवश्यक तत्त्व है। थायरॉक्सिन से शरीर के बहुत से कार्य संपन्न होने में मदद मिलती है। पानी और भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। केवल कुछ पौधे आयोडीन से भरपूर होते हैं और हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं। समुद्री भोजन भी आयोडीन से भरपूर होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गर्दन की अतिवृद्धि नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक मन्दता भी हो जाती है। भारतवर्ष के अनेक भागों के निवासी इस अभाव से प्रभावित पाये जाते हैं।

पानी — पानी जीवन के लिये अति आवश्यक है। पानी हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्त्व है। शरीर का 2/3 भाग पानी होता है। भोजन के बिना गुजारा हो सकता है किन्तु पानी के बिना नहीं। यह हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तथा अंगों के तंतुओं में पाया जाता है। यह तंतुओं और अंगों को चारों ओर से संरक्षण देकर उनकी आघातों से रक्षा करता है। पानी की सहायता से पोषक तत्त्व पाचन, अवशोषण तथा संवहन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में पहुँचते हैं। पानी की सहायता से अनावश्यक तत्त्वों का मूत्रा के रूप में निष्कासन होता है तथा पसीने के निष्कासन से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। साधारणतया हमें प्रतिदिन 6—8 गिलास पानी पीना चाहिये। पानी हमें दूध, छाछ या फलों के रस के रूप में भी मिल जाता है। सामाजिक—आर्थिक विकास एवं प्रगति का स्वास्थ्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक ओर सामाजिक—आर्थिक दशायें व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर के अनुरूप उस समाज के आर्थिक विकास एवं भौतिक प्रगति का रूप निर्धारित होता है। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के आधार तत्त्वों में स्वास्थ्य एवं पोषण को ग्रहण किया गया है।

## साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में गणेश शंकर विद्यार्थी का योगदान

—करुण कुमार (शोधार्थी)

यू०जी०सी० नेट, (इतिहास)

सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर

साम्प्रदायिकता आज की सर्वाधिक जटिल समस्या है और विद्यार्थी जी के लिये तो एक ऐसा विषय, जिसे उन्हें ही पीना पड़ा। कर्म से कबीर इस संत ने साम्प्रदायिकता का विभत्स रूप में ताण्डव करते देखा था जिसे देखने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रहा। वे साम्प्रदायिकता की ज्वाला में हाथ सेकने वाले नहीं थे वे ऐसे तटबंध के रूप में टिके जो अंतिम क्षण तक प्लावन को रोकता है। साम्प्रदायिकता रुकी नहीं, विद्यार्थी जी भी जानते थे यह रुकेगा नहीं क्योंकि इसका निदान है, पर चिकित्सक नादन है क्योंकि हम शांति में नहीं, सुविधा में विश्वास रखते हैं।

विद्यार्थी जी ने साम्प्रदायिक शक्तियों का सदैव विरोध किया। इस सन्दर्भ में उन्होंने हिन्दू साम्राज्य की परिकल्पना करने वालों की भर्त्सना तो की ही उन मुस्लिम नेताओं की आलोचना करने से भी नहीं चूके, जो भारत में रहकर इस्लामी देशों के गुण गाते हैं। उन्होंने लिखा है, “जो हिन्दू स्वराज्य अथवा हिन्दू साम्राज्य का स्वप्न देखते हैं वे ऐसे ही भ्रम में हैं जैसे टर्की को अपना वतन समझने वाले भारतीय मुसलमान हम मजहब की वास्तविक स्पिरिट को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते हैं किन्तु जो मजहब हमें उदारता नहीं सिखाता और विचारों का भेद होते हुये भी निज देशवासियों को अपना नहीं बतलाता वह इस बीसवी शताब्दी में तिलांजलि देने योग्य है”।

गणेश शंकर विद्यार्थी साम्प्रदायिक सद्भावना के सशक्त प्रचारक थे। उन्होंने अपनी सम्पादकीय टिप्पणियों के द्वारा उन लोगों की कटु आलोचना की है जो धार्मिक और साम्प्रदायिक आधार पर राष्ट्रीय एकता को चुनौती देते रहे हैं ऐसे फिरकापरस्तों के सन्दर्भ में वे कहते हैं।

“दोनों जातियाँ एक दूसरे के करोड़ों आदमियों को हजम नहीं कर सकती। दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा कोई भले ही कहे लेकिन न तो टर्की के दोनों से ही उसका पेट पलेगा और न अरब की भूमि में उसकी हड्डियाँ ही दफन होने जायेगी यही भूमि उसे अपनी गोद में खिलायेगी और यही भूमि अन्त में उसे अपनी गोद में स्थान देगी”।

विद्यार्थी जी राष्ट्रीयता को महत्व देते थे परन्तु राष्ट्रीयता के नाम पर सम्प्रदाय विशेष के तुष्टीकरण की प्रवृत्ति के वे प्रचंड विरोधी थे। वे कट्टर हिन्दूवाद के विराधी तो थे पर यह नहीं चाहते कि मुस्लिम सम्प्रदाय राष्ट्रीय एकता की सौदेबाजी करे। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि राष्ट्रीयता बहस का मुद्दा नहीं है और यह कहकर कि राष्ट्र मेरे लिये महत्वपूर्ण है विद्यार्थी जी को पंसद नहीं था। इसलिये जो मुस्लिम लोग अंग्रेजों के प्रलोभन कि बात करते थे उनके प्रति विद्यार्थी जी का रुख कठोर रहा है। वे मुस्लिम राष्ट्रवाद के एक ही नजरिये को बुरा मानते थे तथा केवल भारतीय राष्ट्रवाद को ही स्वीकारने पर बल देते थे। तुष्टीकरण की दिशा में धार्मिक मामलों में राष्ट्र से महत्वपूर्ण मानने की दशा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह पागलपन है। इस सन्दर्भ में गाँधी जी की अलोचना करने से भी नहीं चूके। गाँधी जी ने जब आर्य समाज की शुद्धीकरण की नीति की अलोचना की तो विद्यार्थी जी ने लिखा “हमारी यह विनम्र प्रार्थना है कि धार्मिक सम्प्रदायों के संबंध में महात्मा जी निष्पक्ष होकर सभी प्रकार की कट्टरता पर एक समान प्रहार करे और किसी को रियायत न करे। देश का कल्याण बिना इस जड़ता और अज्ञान की राशी पर पूरे और स्पष्ट प्रहार किये बिना होगा भी नहीं परन्तु साथ ही महात्मा जी जो कुछ कहे उससे अधिक वजनदार बने रहने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि वह कोई राय अपने आस पास के आदमियों कि बाते सुनकर न बनाये”।

भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का गठन करता है सरकार तो धर्म निरपेक्ष है किन्तु कुर्सी पर बैठा इंसान भी क्या धर्म निरपेक्ष है यह एक प्रश्न बना रहा। ऐसी परिस्थितियों में उस सत्ताधारी को यह देखना ही पड़ेगा कि धर्म जीने का अधिकार दे रहा है या नहीं।

विद्यार्थी जी के विचार प्रजातंत्रिक व्यवस्था में थे। यह निश्चय हो जाने के बाद कि हम स्वतंत्र भारत की नागरिकता को प्राप्त कर चुके हैं अधिक उपदेय हो गये और अब यह निर्णय हमारा होगा कि साम्प्रदायिक सद्भाव कैसे स्थापित हो। साम्प्रदायिक तनावों का सारा उत्तरदायित्व इस देश के प्रत्येक वर्ग प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक सम्प्रदाय समान रूप से है। मौजूदा परिस्थितियों में विद्यार्थी जी के विचार प्रांसगिक ही नहीं अति प्रांसगिक है।

विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता, निष्पक्षता है पर तटस्थता नहीं। निष्पक्षता दर्द है और तटस्थता कायरता। दो व्यक्तियों सम्प्रदायों वर्गों के संघर्ष में दोष किसी एक का होगा, दोनों का होगा, तो भी पहले किसी एक का होगा। गाँधी जी ऐसी स्थिति में पहले को दोषी न मानकर दूसरे को भी दोषी मानते थे क्योंकि उसने सहिष्णुता नहीं दिखाई। विद्यार्थी जी कि सहिष्णुता भिन्न कोटी कि थी उन्होंने क्रिया—प्रतिक्रिया सिद्धांत करते हुये इस बात को महत्वपूर्ण माना है कि अपराधी या अराजक को दण्ड देना आवश्यक है और केवल वर्ग के कारण उसे मुक्त नहीं किया जा सकता। हिन्दू—मुस्लिम संघर्षों के सिलसिले में उन्होंने

बार-बार कहा कि यदि हिन्दू और मुस्लिम आततायियो कि निन्दा और उनका नियंत्रण उन्ही वर्गों के नेता या रहनुमा करे तो सौहार्द कि स्थित अवश्य आयेगी परन्तु नेता चाहे हिन्दू महासभा के हो, चाहे मुसलमानो के, संघर्ष का आरोप एक दूसरे पर लगाते है। विद्यार्थी जी ऐसे तनावो मे तटस्थ कभी नही रहे अधिकांश कांग्रेसी या तो चुप्पी लगा जाते थे या हिन्दू साम्प्रदायिकता कि निन्दा करके कर्तव्य की इतिश्री मान लेते थे परन्तु विद्यार्थी जी दोनों की साम्प्रदायिकता की भावना को समान रूप से दोषी ठहराया, इस तर्क के तो वे कभी समर्थन मे नही रहे कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता राष्ट्रीयता मे सहयोगी हो सकती है। उन्होंने बार-बार कहा है यह तो साम्प्रदायिक नही होगा या राष्ट्रीय महजबी होना अलग बात है यह निष्पक्षता कबीर की कोटी मे पहुँचा देती है कबीर ने जहाँ धर्म के नाम पर दोनों सम्प्रदायो के संघर्ष का विरोध किया था वही विद्यार्थी जी ने राष्ट्रीयता के सन्दर्भ मे।

26 अक्टूबर 1924 ई० के प्रताप का "धर्म की आड़" शीर्षक अग्रलेख इसी महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्रित था। गौंधीजी की धर्म धारणा का समर्थन करते गणेश शंकर विद्यार्थी ने संत कबीर के ढंग से लिखा था, "अजां देने शंख बजाने नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नही है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। दो घंटे तक बैठकर पूजा कीजिये और पाँच वक्त नमाज भी अदा कीजिये, परन्तु ईश्वर को इस प्रकार की रिश्वत दे चुकाने के पश्चात् यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी के करने और दूसरों के तकलीफ पहुँचाने के लिये आजाद समझते है, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नही टिकाने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जायेगा आपकी भले मनुष्य होने की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नही सुधारेगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौदने भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिये आजाद न छोड़ सकेगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला-मजहब और नास्तिक आदमी कही अधिक अच्छे और ऊँचे है जो दूसरों से सुख-दुःख का ख्याल रखते है और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिये उकसाना बहुत बुरा समझते है। ईश्वर इन नास्तिको और ला-मजहब लोगो को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यह कहना पसन्द करेगा मुझे मानो या न मानों तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नही रहेगा दया करके मनुष्यत्व को मानों पशु बनना छोड़ो आदमी बनो"।

गणेश शंकर विद्यार्थी का चिन्तन मानुष भव पर केन्द्रित था। पाशव (पशु) भाव को संस्कृत करने के लिये ही व धर्म के पक्षधर थे। उनके जैसे प्रज्ञा पुरुष की दृष्टि में मनुष्य बनना मानवीय गुणों को समबर्द्धित करना ही धर्म का चरम लक्ष्य था। साहित्य राजनीति धर्म संस्कृति सबका मूल्यांकन गणेशजी मनुष्य के कल्याण के भाव को केन्द्र में रखा करते थे। मनुष्य की

हित—चिन्ता पर ही उनका चिन्तन केन्द्रित था। मनुष्य की महिमा को क्षत करने वाली प्रत्येक प्रकार की हीन मान्यता के प्रतिरोध में उनकी प्रज्ञा सक्रिय थी। छोटे—छोटे प्रसंगों को उपजीव्य बनाकर मनुष्य के उद्धार और सांस्कृतिक अभ्युत्थान का उनका चिन्तन दिशा संकेत देता था। सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति उनका विवेक सचेत था। इसलिये रोटी के लोभ में पड़कर धर्म परिवर्तन की घटना उनके विचार लोक को उद्देहित कर देती थी। मनुष्य की अधोगति उनकी संवेदना को आहत करती थी। मनुष्य का समग्र अभ्युत्थान उनके चिन्तन का एकांत लक्ष्य था, इसलिये जीवन जगत् की छोटी—छोटी घटनाओं पर उनकी नजर रहती थी, संस्कृति के प्रत्येक महत्वपूर्ण आयाम पर उनके चिन्तक ने स्वकीय कोण से विचार किया था

देशवासियों को गणेश जी ने आग्रह किया था “परमात्मा हमारे साधारण आदमी को समझ दे। परमात्मा करे वह दिन आवे जब साधारण आदमी अच्छी—अच्छी तरह समझ सकें कि अपने अपवित्र मुँह से धर्म का नाम उच्चारण करने वाले और उसके आधार पर लाखों मनुष्यों की शक्तियों के आधार पर अपने अधिकार लिप्सा का खेल खेलने वाले ये थोड़े से पढ़े लिखे आदमी देश की आत्मा को अपने पैरो तले रौद रहे हैं वह समझ सके कि अपने लिये और अपनी संतति के वास्ते जो देश के करोड़ों में केवल उंगलियों पर गिन लेने योग्य है पद अधिकार प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने के लिये देश के ये थोड़े से शिक्षित और चालाक लोग देश के कड़काल पर ठोकर मारते हुये देश करोड़ों व्यक्तियों को कठपुतली की भाँति कैसा नचा रहे हैं।

### निष्कर्ष :

1. राजनैतिक दलों द्वारा राजनैतिक लाभ हेतु साम्प्रदायिकता फैलाने के कार्यों पर रोक लगाना।
2. व्यक्ति को शिक्षित करना, तथा व्यक्ति को साम्प्रदायिकता विहीन आचरण और आपसी विश्वास पर बल देना।
3. सरकार को साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने हेतु व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहित करना।

मनुष्य का जन्म तो सहज होता है,  
पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से  
प्राप्त करनी पड़ती है।

## स्मृतियों में नारी की स्थिति (मनुस्मृति के विशेष सन्दर्भ में)

ब्रिजेन्द्र कुमार सिंह

शोध छात्र

(आई०सी०एच०आर, जे०आर०एफ० स्कालर)

इतिहास विभाग, वी०एस०एस०डी० कॉलेज,

कानपुर

किसी भी सभ्यता और संस्कृति के स्तर, धारणाओं, भावनाओं आदि को समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिये उस सभ्यता और संस्कृति में स्त्रियों की साधारण दशा और उनके अधिकारों और उनके स्तर का जान लेना आवश्यक है। यदि समाज में स्त्रियों का स्तर ऊँचा है, और उन्हें विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा यदि उन्हें प्राप्त है, तो उस समाज और संस्कृति का स्तर अवश्य श्रेष्ठ होगा।

स्मृतियों में मानव जीवन के उन विषयों का वर्णन है। जो उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं। इसके साथ ही स्मृतियों में ये भी दिया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, आदि विचारों का विस्तृत विवरण देने वाली 'मनुस्मृति' सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल आदि स्मृतियाँ भी उल्लेखनीय हैं। परन्तु मनुस्मृति का स्मृतियों में विशेष स्थान है। स्मृतिकाल में नारी की स्थिति के उतार – चढ़ाव का मूल्यांकन निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है।

मनुस्मृति की नारी विषयक अवधारणाएँ हैं कि –

- स्त्रियाँ घर की शोभा होती हैं।
- जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं।
- जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सभी धर्म क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।
- जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ लक्ष्मी भी रुष्ट रहती है।
- उत्तर वस्त्राभूषण, भोजनादि से सत्कार कर स्त्री को प्रसन्न रखना चाहिए।
- सुशोभित स्त्री से सारे कुल की शोभाशीलता बनती है।

- शोभायमान स्त्री ही पत्नी रूप में पति की प्रसन्नता का कारण बनेगी। अतः उत्तम सन्तान प्राप्त भी तभी सम्भव होगा।
- अपत्य धर्मकार्य, अपनी सेवा, रति, अपना स्वर्गादि पत्नी के ही अधीन है।
- जिस कुल में पति और पत्नी एक-दूसरे से सन्तुष्ट और प्रसन्न हैं, वहाँ नित्य ही कल्याण रहता है।<sup>1</sup>

### सामाजिक जीवन में नारी की स्थिति

स्मृति युग में नारी के समस्त सामाजिक अधिकारों का अपहरण कर लिया गया क्योंकि उनके अनुसार स्त्रियाँ नासमझ होती हैं। इस कारण किसी भी अवस्था में उन्हें स्वतंत्र न रखा जायें।

“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्थावरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्य मर्हति।।”<sup>2</sup>

मनुस्मृति – 9/3/479

अर्थात् स्त्री बाल्यावस्था में पिता के और युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र यदि पति की मृत्यु हो गई हो तो अर्थात् वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए क्योंकि वह कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। स्त्रियों के जातकर्म और नामकर्म आदि संस्कारों के विषय में मनु ने कहा है कि वेदमन्त्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यही शास्त्र की मर्यादा है –

“वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारों वैदिकस्मृतः।

पति सेवा गुरौवासः गृहर्थोऽग्निपरिक्रमाः।।”<sup>3</sup> मनुस्मृति – 2/67/52

अर्थात् स्त्रियों के लिये विवाह केवल ऐसा संस्कार है, जो वेद मन्त्रों के साथ किया जाता है। उनके लिये पति सेवा ही गुरु के पास वास करना है और गृह कार्य ब्रह्मचारी द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला अग्निहोत्र है।

### पत्नी रूप में नारी की स्थिति

नारी को पत्नी के रूप में परिवार को सुखमय बनाना और परिवार के सदस्यों के प्रति समुचित व्यवहार करना, गृहकार्य करना, अतिथियों का आदर सत्कार करना, इत्यादि गुणी पत्नी के लिए मनु ने कहा है कि पत्नी में चार बातें होनी चाहिए –

- सदैव हँसमुख रहे
- गृहकार्य में दक्ष हो
- घर को स्वच्छ रखे
- और अपव्ययी न हो।

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्।

स्वप्नोऽन्येहेवासश्च नारीणां दूषणानिषट्।।<sup>4</sup>

मनुस्मृति – 9/13/336

अर्थात् ये छह स्त्रियों को नष्ट कर डालते हैं। मदिरापान, दुष्ट पुरुष की संगति, पति से अलग रहना, निरर्थक इधर-उधर घूमना, असमय और अधिक समय तक सोना तथा दूसरों के घर में रहना आदि।

**पतिव्रता रूप में नारी**

समाज में पतिव्रता नारियों का महत्वपूर्ण स्थान था।

पतिं या नाभिचरित मनोवाग्देहसंयता।

सा भूर्तलोकमवाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते।।<sup>6</sup>

मनुस्मृति – 9/30/485

अर्थात् जो स्त्री अपने मन, वचन और शरीर पर संयम रखने वाली तथा पति से भिन्न पुरुष की कामना न करने वाली स्त्री इस लोक में 'पतिव्रता' के रूप में सम्मानित होती है और मरने पर पतिलोक को प्राप्त करती है।

“व्याभिचारात् भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्।

श्रृगालयोनिं चाप्नोति पापरोगैश्च पीडयते।।”<sup>7</sup>

मनुस्मृति – 9/30/338

अर्थात् विवाहित स्त्री पर पुरुष से रति करने से इस लोक में निन्दित होती है, अनेक पाप (योनि सम्बन्ध) रोगों से पीड़ित होती है तथा मरने पर गीदड़ी बनती है।

**माता के रूप में नारी की स्थिति**

स्मृतिकारों ने माता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। माता को गुरु एवं पिता दोनों से श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं।<sup>8</sup>

**विधवा के रूप में नारी की स्थिति**

कामं तु क्षपयेच्छेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः।

न तु नामापि गृहीयात्पत्यौ प्रेते परस्तु तु।।<sup>9</sup>

मनुस्मृति – 5/160/215

अर्थात् पति के मर जाने पर स्त्री यदि चाहे तो, केवल पुष्पों, फूलों एवं मूलों को ही खाकर अपने शरीर को गला दे। परन्तु भूलकर भी पर पुरुष की कामना नहीं करना चाहिए।

### आर्थिक जीवन में नारी की स्थिति

आर्थिक क्षेत्र में किसी भी स्त्री को पति की अनुपस्थिति या पति के परदेश चले जाने पर उचित शिल्प के माध्यम से जीवन यापन करने की अनुमति प्राप्त थी। मनु ने स्त्रीधन को छः प्रकारों का निर्देश दिया है।

“अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तच्च प्रीतिकर्मणि।

भ्रातृमातृपितृ प्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्।।”<sup>10</sup>

मनुस्मृति – 9/193/363

- अर्थात् विवाह के समय अग्नि के सक्षम पिता आदि द्वारा दिया गया धन। (दहेज)
- गृह—प्रवेश, पुत्र—जन्म आदि किसी अवसर पर बुलाकर दिया गया धन।
- प्रीतिकर्म तथा समयान्तर में पति द्वारा दिया गया धन।
- पिता द्वारा दिया गया धन                      ●                      माता द्वारा दिया गया धन
- भाई द्वारा दिया गया धन, आदि।

### स्त्रीधन पर अधिकार

प्रारम्भिक स्मृति लेखकों ने स्त्री धन के ऊपर स्त्री का अधिकार मानते हुए भी उसमें सम्मिलित सम्पत्ति को बेचने का अधिकार उसे नहीं दिया।

“न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्बहुमध्यगात्।

स्वकादपि च वित्ताद्विस्वस्थ भर्तुरनाज्ञया।।”

मनुस्मृति – 9/199/531

अर्थात् मनु के अनुसार पति के अनुमति के बिना पत्नी अपनी निजी सम्पत्ति को भी नहीं बेच सकती है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि मनु का लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराना। यह मोक्ष सम्पूर्ण भारतीय वैदिक परम्परा एवं आध्यात्मिक विचारधारा द्वारा निर्देशित व निर्धारित जीवन का लक्ष्य है इसकी प्राप्ति संसार को त्यागकर जिम्मेदारियों से पलायन कर तथा समाज की चिन्ता न करते हुए गुफा में जाकर भी की जा सकती है किन्तु मनु की उदार दृष्टि में ये उचित नहीं है। वे एक ऐसी पारिवारिक सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था चाहते हैं जिस व्यवस्था में रहते हुए सम्पूर्ण समाज के सदस्य एक—दूसरे के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुए एक—दूसरे की सहायता करते हुए सुखी एवं समृद्ध जीवन जीते हुए इस मोक्ष की प्राप्ति इस सांसारिक एवं गृहस्थ जीवन में ही रहकर कर ले तथा जो यहाँ न कर पाये वे

वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक पश्चिमी विचारक ने कहा है कि पति ईश्वर के लिये और पत्नी पति में स्थिति ईश्वर के लिए इसी भाव का मनु ने हजारों वर्ष पहले मनुस्मृति में व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म. – भारतीय वाङ्मय में नारी, प्रकाशक यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दिल्ली-2006, पृ. 81
2. मनुस्मृति 9/3/479 चौखम्या
3. मनुस्मृति 2/67/57 चौखम्या
4. सिंह, डॉ. ओ.पी. – प्राचीन भारतीय समाज और शासन, पृ. 48
5. मनुस्मृति 9/13/336 शाश्वत साहित्य प्रकाशन
6. मनुस्मृति 9/30/485 चौखम्या
7. मनुस्मृति 9/30/338 शाश्वत
8. सिंह, डॉ. ओ.पी. – प्राचीन भारतीय समाज एवं शासन, पृ. 5
9. मनुस्मृति 5/160/215 शाश्वत
10. मनुस्मृति 9/193/363 शाश्वत साहित्य प्रकाशन
11. मनुस्मृति 9/199/531 चौखम्या

### सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, श्रीराम आचार्य – मनुस्मृति, शांतिकुज हरिद्वार
2. सहाय, डॉ. शिवस्वरूप – प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, प्रकाशन – मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 2004
3. शास्त्री, डॉ. रामचन्द्र वर्मा – मनुस्मृति, विद्या विहार, नई दिल्ली, 1997
4. आचार्य, सम्राट श्री देवेन्द्र मुनिजी म. – भारतीय वाङ्मय में नारी, प्रकाशक यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दिल्ली, 2006
5. मिश्र, जयशंकर – प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली, 1986
6. वर्मा, डॉ. वी.पी. – आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003
7. श्रीवास्तव, कृष्णचन्द्र – भारत की संस्कृति तथा कला, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 1997
8. सिंह, डॉ. ओ.पी. – प्राचीन भारतीय समाज एवं शासन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2005
9. झा, द्विजेन्द्र नारायण – प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, वि.वि. 2008

# RIGHT TO INFORMATION- THE HISTORICAL PERSPECTIVE

**-Pawan Kumar Tiwari**  
Research Scholar, Law  
C. M. J. University,  
Shillong, Meghalaya

## ORIGIN OF RIGHT TO INFORMATION IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Freedom of expression and Right to Information are considered as integral concepts in modern democracies. Since the last decades of the last century, there has been an unstoppable global trend towards the recognition of Right to Information and right to freedom of speech and expression. In a democracy, the greater the access to information the greater is the responsiveness of government to the needs of the community. The Right to Information and Freedom of Expression has been recognized as fundamental to human being free speech is protected by International Human Rights, under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights.

The plea for Freedom of Speech and Expression was raised for the first time in the history of democracy by the Athenian Orator Socrates (B.C. 436-386), who committed suicide after his country was defeated and conquered by Philip of Macadon at the Battle of Chaeronea. His immortal speech "Logas Areopagicos" was a strong plea for restoring democracy and Freedom of Expression in Athens.

- (1) **EVOLUTION OF THE CONCEPT FROM SWEDEN:**
- (2) **RIGHT TO INFORMATION – ITS EVOLUTION:**

Article-19 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 reads "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

### **Sweden:**

An insight into the international scenario reveals that there has been a trend from administrative norms of secrecy to Freedom of Information all over U.S.A., Australia and Sweden where openness is a rule rather than an exception Sweden has a long history of an administrative openness and public access to information. The credit of being the first country, which guaranteed the Right to Information to its citizens, also goes to Sweden and

this wide and exceptional provision is not to be found elsewhere. Its Constitution itself declares that the citizens shall have the free access to official documents subject only to such restrictions as are demanded out of consideration for the security of the realm and its relations with the foreign powers or in connection with official activities for inspection, control or other supervision or for prevention and prosecution of crime or to protect the legitimate interest of the State communities and individuals or out of consideration for maintenance of privacy, security of the person, decency and morality. The principle of public access was adopted in 1766, as a part of provision of Freedom of the Press Act. Here the public access to government documents is a right, non access only an exception. In the 18<sup>th</sup> Century between the two main political parties of Sweden, the Hats and Caps, and with the defeat of the Hats in 1765 after a long term in office, the Caps inserted the principle of public access in the Freedom of the Press Act as a reaction of the frustration over excessive administrative secrecy as well as press censorship under the Hats regime. Subsequently the principle was accepted as a part of the normal political life of Sweden.

In other countries, however, the development in this regard has been far more recent.

#### **RIGHT TO INFORMATION-SCANDINAVIAN COUNTRIES:**

##### **Finland, Denmark and Norway:**

Finland also has a law of the Right to Information since 1951 on publicity of documents.

Later, Norway and Denmark have also statutorised public access to official information in 1970.

##### **United State of America (U.S.A.):**

In United States of America the foundation of openness and Right to Information lay in constitutional fundamental right of free speech. The statutory framework for it is provided in the Freedom of Information Act, 1966 and its statutory cousins the Privacy Act, 1974 and the government in the Sunshine Act, 1976. Freedom of Information Act makes disclosure a rule and non disclosure an exception Individuals have been given a right to access information and in case the information is withheld, the government has to justify the reason for withholding documents. In case of denial of access to document the individuals have a right to seek injunctive relief.

##### **France:**

France has also accepted the principle of citizens' access to information in 1970. There is commission on access to Administrative Documents.

**Ireland:**

Ireland enacted the Freedom of Information Act in 1997, which came into force in 1998.

**United Kingdom:**

In modern times imposing restriction on freedom of expression and suppression of information was initiated by the Britain, claimed to be the creators of modern parliamentary democracy. The much famed "Long Parliament" of the United Kingdom (1640-60) which carried out the execution of a number of aides of the Emperor of the empire of never setting sun, issued ordinances prohibiting free speech for the first time in the history of human civilization. The Parliament ordered, "It is therefore ordered by the Lords and commons in Parliament, that no order or declaration or both, of either house of Parliament shall be printed by any but by order by both the Houses." In U.K. the Freedom of Information Act (in brief FOIA) was passed on Nov. 30, 2000. It gives a general right to public to have access to all types of 'recorded' information held by public authorities, sets out exemptions from the general right and places a number of obligations on public authorities. The FOIA applies only to 'public authorities' and not to private entities.

**Commonwealth Countries:**

The concept of secrecy has almost lost its relevance in the common wealth countries like Canada, Australia and New Zealand. Canada has the Freedom of Information Act, 1986 providing complete procedure of disclosure of information to person applying and requires the government departments to maintain a register, providing the kind of information, which is supplied to the public and have the register available for the public consultation. Australia and New Zealand are having Laws on Freedom of Information since 1982.

**Republic of South Africa:**

The latest development in constitutionalism is the adoption of the Constitution of the Republic of South Africa 1996. Chapter Two of the Constitution is titled as Bill of Right, Section 32 of which deals with access to information and contains:

- (1) Everyone has the right of access to—
  - (a) Any information held by the State and
  - (b) Any information that is held by another person and that is required for the exercise or protection of any rights.
- (2) National legislation must be enacted to give effect to this right and may provide for reasonable measures to alleviate the administrative and financial burden on the

State. This may be highlighted that South African Constitution provides access to information to any person and in the form of a fundamental right, which is worth appreciation.

### **RIGHT TO INFORMATION – INDIAN SCENARIO:**

Indian Constitution does not expressly provide any right to Freedom of Information as such. Its part-III dealing with Fundamental Rights and Part-IV dealing with Directive Principles of State Policy are totally silent on this subject. However, Art. 19(1) (a) of the Constitution which confers the right to Freedom of Speech and Expression, includes the Right to Information read with Art. 19 of Universal declaration of Human Rights, which has been ratified by India also. It may, however, be mentioned that the Indian apex Court through its progressive interpretation read this valuable right as part of Art. 19 (1) (a) Landmark Judgment in this context is State of U.P. v. Raj Narain<sup>1</sup>. Mathew J. expressed this proposition in the following words:-

In a government of responsibility like ours, where all the agents of the public must be responsible of their conduct, there can be but few secrets. The people of this country have a Right to Know every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing. The Right to Know which is derived from the concept of Freedom of Speech, though not absolute, is a factor which should make one way, when secrecy is claimed for transactions which can, at any rate, have no repercussion on public security. To cover the veil of secrecy, the common routine business is not in the interest of the public. Such secrecy can seldom be legitimately desired. It is generally desired for the purpose of parties and politics or personal self-interest or bureaucratic routine. The responsibility of official to explain and to justify their actions is the chief safeguard against oppression and corruption.

The Supreme Court in S.P. Gupta V. Union of India<sup>2</sup> decided by seven judges' constitutional bench added a fresh, liberal dimension to the need for disclosure in matters relating to public affairs. In the instant case it was held that in regard to the functioning of government, disclosure of information must be ordinary rule while secrecy must be an exception, justifiable only when it is demanded by the requirement of public interest. It was further held that the disclosure of documents relating to the affairs of the State involves two competing dimensions of public, namely, the right to the citizen to obtain disclosure of information, which competes with the right of the State of protecting the information relating to its crucial affairs. In addition, it was also held that in deciding whether or not to disclose the contents of a particular document, a Judge must balance the competing interests and make his final decision depending upon the particular facts involved in each individual case.

It is important to note that it was conceded that there are certain classes of documents which are necessarily required to be protected such as Cabinet Minister documents concerning the national safety, documents which effect diplomatic relations or relate to State secrets of the highest importance and the like in respect of which Court would ordinarily uphold government's claim of privilege. However, even these documents have to be tested against the basic guiding principle, which is that wherever it is clearly contrary to the public interest for a document to be disclosed, and then it is in law immune from disclosure.

In *Dinesh Trivedi v. Union of India*<sup>3</sup> Supreme Court while making a reference to *State of U.P. v. Raj Narain and S.P. Gupta V. Union of India*, held that in modern democracies, it is axiomatic that citizens have a right to know about the affairs of the government which, having been elected by them, seeks to formulate sound policies of governance aimed at their welfare. However, like all other rights, even this right has recognised limitation; it is by no means absolute. Transactions, which have serious repercussion on public security, secrecy can legitimately, be claimed because it would then be in public interest that such matters are not publicly disclosed or disseminated.

Further, Art. 21 of the Constitution guarantees to every citizen the Right to Life and Personal Liberty. The citizens cannot exercise this right to protect their lives unless they are informed about threats to their lives, the measures being taken by the concerned authorities and the measures available to them. Without this information right becomes totally meaningless.

Bhopal Gas Tragedy is a living example wherein many lives could have been saved provided people living near the plant site were provided complete information about the hazards of the plant and how they can protect themselves from the MIC gas.

Art. 51 A(g) imposes a duty on every citizen to protect and improve environment.

It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures.

Again, this duty becomes meaningless if the citizens are denied information on important aspects of natural environment, various projects being taken-up by the government, which are going to effect the environment and the policies of the government on environmental issue.

### **OFFICIAL SECRETS ACT, 1923:**

In India there are a number of laws to curb free flow and access to information. One such legislation is Official Secrets Act, 1923 that is a replica of the Official Secrets Act of Britain and is still being used by the government to suppress the Freedom of the Press and

voice of the poor and marginalised section of the society.

Two important aspects have been dealt in the Act – espionage and disclosure of secret official information. Sec. 5 is the omnibus and catch all provision of the Act, preventing disclosure of all official information. Under this Section any official document can be marked as confidential to prevent its disclosure to the public. The disclosure per se has been made punishable irrespective of the purpose of disclosure or the prejudicial effect it is going to have on the national interest. Both, person who is communicating and the person who is receiving the official information are guilty under the Act. Person guilty under the Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or fine or both.

The decision to decide whether the information is secret or not lies solely with the government. Government, by classifying any document as secret, can prohibit public access to it. In today's world where the sole emphasis is on openness and accountability in government functioning, the Act remains merely as a relic of the British regime. In addition to Official Secrets Act, 1923 there are provisions in Sec. 123, 124 and 162 of Indian Evidence Act, 1872, which regulated the power of the government to withhold information. It is therefore submitted that to give meaning to RTI Act and to make it effective it is essential to introduce consequential changes in the provision of the different laws having negative implications on the free flow of information.

#### **NATIONAL LEVEL:**

##### **Right to Information (A) Various Movements and Developments at National Level:**

India which is the world's largest democracy has always been an example for the entire world for its success. It has always tried to evolve way in order to make it more functional and responsible. The RTI was passed in October 2005 after long deliberations and struggle. It was a grand step in the direction of proving openness and accountability for government's functioning in order to usher a democratic system devoid of corruption inaction, wrong or inefficient performance, which try to eat-up democracy from within and make it hollow. It was also a step to encourage participation of people in the functioning of government and to make them more informed and concerned about the activities of government. It has both intrinsic and instrumental value.

##### **Right to Information – The Grass Root Struggle in Rajasthan:**

The movement for RTI can be traced back to the gross root struggle of the rural poor, who have sought to fight against corruption in their areas affecting their livelihood and in justice around them.

The RTI got the legal support for the first time in Supreme Court case of State of U.P.

v. Raj Narain<sup>4</sup> in which Justice Mathew gave a landmark judgment, "In a government of responsibility like ours where all the agents of public must be responsible for their conduct, there can be but few secrets. The people of this country have a right to know, every public act, everything that is done in a public way by the public functionaries. They are entitled to know, the particulars of every public transaction in all its bearing. Their right to know which is derived from the concept of Freedom of Speech, though not absolute is a factor, which should make one wary when secrecy is claimed for transactions which can at any rate have no repercussion on public security.

The RTI related another landmark judgment is S.P. Gupta v. Union of India<sup>5</sup> case where the Court declared that, "the concept of an open government is direct emanation from the "right to know" which seems to be implicit in the Right to Freedom of Speech and Expression guaranteed under Act 19 (1)(a)."

In 1982, Mathew Commission recommended for the amendment of the Official Secrets Act, 1923 (hereinafter referred to as OSA) which was considered as great, impediment in the way of peoples "Right to Know" and Sec. 5 of OSA was sought to be suitably amended. In 1989, V.P. Singh's National Government came to power and declared is decision to make RTI a fundamental right. In April 1990 in 20<sup>th</sup> Conference of Ministers of Information and Cinematography he expressed. "An open system of governance is an essential prerequisite for the fullest flowering of democracy."

#### Reference


1. (1975) 4 SCC 428, 453, Para 74.
2. (1981) SUPP, SCC 87 Para 73 & 74 at Pp. 284-286.
3. (1997), HSCC 306.
4. (1975) 4 SCC 428, 453 Para 74.
5. (1981) SUPP. 87 Para 73 & 84 at pp. 284-286.

# सिद्धांत

## DOCTRINE

# त्रैमासिक शोध जर्नल

सदस्यता फार्म



नाम .....

पिता / पति का नाम .....

शैक्षिक योग्यता एवं पद .....

जन्मतिथि .....

पता : विद्यालय / यूनिवर्सिटी / संस्थान .....

.....

आवास .....

.....

फोन नं० / मोबाइल नं० .....

ई-मेल .....

सहयोग राशि (नकद / मनीआर्डर / ड्राफ्ट / चेक) .....

तिथि ..... हस्ताक्षर .....

(सदस्यता फार्म की छाया प्रति स्वीकार्य है)